

लोक-सभा

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, १९७१
(प्रवर समिति का प्रतिवेदन)

(१० मई, १९७२ को अस्तुत किया गया)



लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मई, १९७२/वैशाख, १८९४ (शक)

मूल्य : १.५० रुपये

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. प्रवर समिति की रचना	(iii)
2. प्रवर समिति का प्रतिवेदन	(v)
3. विमति टिप्पण	(xi)
4. समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक	1

परिशिष्ट :

एक : विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के संबंध में लोक-सभा में प्रस्ताव	29
दो : उन संस्थाओं/व्यक्तियों की सूची जिनसे प्रवर समिति को ज्ञापन/अभ्यावेदन/टिप्पण प्राप्त हुए थे	30
तीन : उन संस्थाओं/व्यक्तियों की सूची जिन्होंने प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य दिया	31
चार : प्रवर समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश	32

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1971 संबंधी प्रवर समिति

समिति की रचना

श्री भागवत झा आजाद—सभापति

सदस्य

2. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
3. श्री के० बालतण्डायुतम
4. श्री छोटे लाल
5. चौधरी दलीप सिंह
6. श्री आनन्दी चरण दास
7. श्री के० आर० गणेश
8. श्री एच० आर० गोखले
9. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
10. श्री चिरंजीव झा
11. श्री दिनेश जोरदार
12. श्री ए० के० वीचुसा
13. श्री के० मालन्ना
14. श्री नागेश्वर राव मेदुरी
15. श्री पीलू मोदी
16. श्री तारकेश्वर पांडेय
17. श्रीमती सहोदराबाई राय
18. चौधरी रामसेवक
19. श्री राम सुरतप्रसाद
20. श्री वीरेन्द्र सिंह राव
21. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी
22. श्री मुल्की राज सैनी
23. श्री एन० के० पी० साल्वे
24. श्री एस० सी० सामंत
25. श्री इरा सेन्नियान
26. श्री शिवपूजन शास्त्री
27. श्री सतेन्द्र एन० सिन्हा
28. श्री टी० सोहन लाल
29. श्री वी० तुलसी राम
30. श्री यशवंतराव चव्हाण

(iv)

विधायी परामर्शदाता

1. श्री के० के० सुन्दरम, संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता
2. श्री पी० बी० वेंकट सुब्रह्मण्यम, संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता
3. श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री, अपर विधायी परामर्शदाता
4. श्री एस० रमय्या, उप-विधायी परामर्शदाता

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री बी० डी० पांडे, सचिव
2. श्री आर० डी० शाह, चेयरमैन (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) तथा अपर सचिव
3. श्री के० ई० जानसन, सदस्य, (घन-कर एवं लेखापरीक्षा) तथा संयुक्त सचिव
4. श्री एम० बी० पालेकर, सदस्य (आय-कर) तथा संयुक्त सचिव
5. श्री आर० आर० खोसला, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
6. श्री ओ० पी० भारद्वाज, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
7. श्री बलवीर सिंह, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

सचिवालय

श्री पी० के० पटनायक—संयुक्त सचिव

श्री एच० जी० परांजपे—उप-सचिव

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

में, उस प्रवर समिति का सभापति, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 घन कर अधिनियम, 1957 और दानकर अधिनियम, 1958 में अग्रतर संशोधन करने वाला विधेयक* सौंपा गया था, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किये जाने पर यह प्रतिवेदन, जिसके साथ समिति द्वारा संशोधित रूप में विधेयक संलग्न है, प्रस्तुत करता हूँ।

2. यह विधेयक 12 अगस्त, 1971 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। प्रवर समिति को विधेयक सौंपने का प्रस्ताव श्री यशवंतराव चव्हाण, वित्त मंत्री द्वारा 17 नवम्बर, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था तथा इस पर उसी दिन विचार किया गया और यह स्वीकृत हुआ (परिशिष्ट एक)।

3. समिति की कुल 13 बैठकें हुईं।

4. समिति की पहली बैठक अपना कार्यक्रम बनाने के लिए 23 नवम्बर, 1971 को हुई। इस बैठक में समिति ने निश्चय किया कि संवैधानिक विशेषज्ञों और कराधान विधि, लेखाविधि और सम्पत्ति के मूल्यांकन के विशेषज्ञों का साक्ष्य सुना जाये।

5. समिति को विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं आदि से विधेयक पर 15 ज्ञापन/अभ्यावेदन टिप्पण प्राप्त हुए (परिशिष्ट-दो)।

6. समिति ने दिनांक 7, 8, 20, 21 और 22 दिसम्बर, 1971 को हुई अपनी क्रमशः दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठी बैठकों में व्यक्तियों/संस्थाओं आदि द्वारा दिये गये साक्ष्य सुने जैसा कि परिशिष्ट-तीन में दिया गया है।

7. समिति ने 24 और 28 जनवरी, 1972 को हुई अपनी क्रमशः सातवीं और अठवीं बैठकों में विधेयक की संवैधानिक विधि मान्यता पर सामान्य चर्चा की और इस संबंध में विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) के विचार भी सुने।

8. समिति का प्रतिवेदन 15 दिसम्बर, 1971 तक प्रस्तुत किया जाना था। समिति ने महसूस किया कि यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए निर्धारित समय में विधेयक के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा करना संभव नहीं होगा। अतः समिति ने यह निर्णय किया कि प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए बजट सत्र (1972) के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक समय बढ़ाने की मांग की जाये। इस आशय का आवश्यक प्रस्ताव 10 दिसम्बर, 1971 को सभा में पेश किया गया और स्वीकृत हुआ।

समिति ने 28 जनवरी, 1972 को हुई अपनी आठवीं बैठक में यह निश्चय किया कि मार्च, 1972 में किसी समय बैठक बुलाई जाये और विधेयक पर खंडवार विचार किया जाये। परंतु समिति के अधिकतर सदस्यों के मार्च, 1972 के आरम्भ में कुछ राज्य विधान सभाओं तथा संघ राज्य क्षेत्रों के चुनावों में व्यस्त होने के कारण, समिति की नवीं बैठक केवल 15 मार्च, 1972 को ही हो सकी। इस बैठक में समिति ने महसूस किया कि प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए बहुत कम समय रह गया है अतः निर्धारित तारीख तक विधेयक के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा करना समिति के लिए संभव नहीं होगा। इसलिये समिति ने निश्चय किया कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 10 मई, 1972 तक और बढ़ाये जाने की मांग की जाये। इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव 17 मार्च, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ।

9. समिति ने यह भी निश्चय किया कि समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य मुद्रित किया जाये और सभा-पटल पर रखा जाये।

10. समिति ने 3, 5 और 18 अप्रैल, 1972 को हुई अपनी क्रमशः दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं बैठकों में विधेयक पर खंडवार विचार किया।

11. समिति ने निश्चय किया कि विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों/संघों आदि द्वारा प्रस्तुत किये ज्ञापनों/अभ्यावेदनों/टिप्पणों आदि की एक-एक प्रति सदस्यों के पढ़ने के लिए संसद-ग्रंथालय में रखी जाये।

12. समिति ने 5 मई, 1972 को प्रतिवेदन पर विचार किया तथा इसे स्वीकृत किया।

*दिनांक 12 अगस्त, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 2 में प्रकाशित।

13. विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों के संबंध में समिति के विचारों का व्यौरा आगे के पैराग्राफों में दिया गया है।

14. खंड 2, 10 (मूल खण्ड 9) और खण्ड 21 (मूल खण्ड 20):—इन खंडों का उद्देश्य क्रमशः आयकर अधिनियम धन-कर अधिनियम और दान कर अधिनियम में मूल्यांकन अधिकारी को किसी पूंजीगत आस्ति, आस्ति अथवा सम्पत्ति के मूल्यांकन के निर्देश का उपबंध करने के लिए उनका संशोधन करना है। समिति महसूस करती है कि इस दृष्टि से कि ऐसे निर्देश करने वाले कर प्राधिकारी मनमानी न करें ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करना वांछनीय है जिनके आधार पर ऐसे निर्देश किये जायें। समिति सिफारिश करती है कि इस प्रयोजनार्थ ऐसे मामलों में जिनमें मूल्यांकन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के प्राक्कलन के अनुसार है और ऐसे मामलों में जिनमें मूल्यांकन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के प्राक्कलन के अनुसार नहीं है, भेद किया जाना चाहिए। प्रथम वर्ग के मामलों में मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश उस स्थिति में किया जाये जब कि कर प्राधिकारी यह समझे कि रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किये गये प्राक्कलन में संशोधन करके इसमें वृद्धि करना आवश्यक है। दूसरे वर्ग के मामलों में उस दशा में निर्देश किया जाये जबकि कर प्राधिकारी यह समझे कि पूंजीगत आस्ति, आस्ति अथवा सम्पत्ति की प्रकृति और अन्य सुसंगत परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है, अथवा यदि उसकी यह राय है कि पूंजीगत आस्ति, आस्ति अथवा सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, आस्ति के उस मूल्य से, जिसका निर्धारितों ने दावा किया है, उस मूल्य के, जिसका इस प्रकार दावा किया गया है, इतने प्रतिशत से या इतनी रकम से अधिक है जो इस निमित्त नियमों द्वारा विहित की जाए। नयी धारा 55 क, विधेयक के खंड 2 द्वारा आयकर अधिनियम में अंतः स्थापित करने के लिए यथा प्रस्तावित, नई धारा 16 क की उप-धारा (1), विधेयक के खंड 10 द्वारा धन कर अधिनियम में अंतःस्थापित करने के लिए यथा प्रस्तावित, और नई उप-धारा (6) विधेयक के खंड 21 द्वारा दान कर अधिनियम की धारा 15 में अंतःस्थापित करने के लिए यथा प्रस्तावित, तदनुसार संशोधन किया गया है।

15. खंड 4—समिति ने इस खंड में कुछ संशोधन किये हैं जिनका व्यौरा इस प्रकार है:—

(एक) धारा 269क खंड (क) और खंड (ज) (मूल खंड छ)—विधेयक के विद्यमान उपबंधों के अधीन स्थावर सम्पत्ति का अर्जन तभी किया जा सकता है जब ऐसी सम्पत्ति का विक्रय के रूप में न कि विनिमय के रूप अन्तरण किया जाता है यदि विनिमय के रूप में स्थावर सम्पत्तियों के अन्तरणों को विधेयक के क्षेत्र से बाहर रखा गया तो वेईमान व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति के अन्तरण के लिए प्रतिफल का भुगतान अंशतः नकद और अंशतः वस्तुओं के रूप में अथवा पूर्णतः वस्तुओं के रूप में—करके स्थावर सम्पत्ति के अर्जन का सुगमता से वंचन कर सकते हैं। अतः समिति महसूस करती है कि विनिमय के रूप में स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण को भी विधेयक के उपबंधों के अन्तर्गत लाया जाये। तदनुसार “अन्तरण” पद की परिभाषा में इस प्रकार संशोधन किया गया है कि इसमें विनिमय द्वारा अन्तरण भी सम्मिलित है।

इसके परिणामस्वरूप “प्रत्यक्ष प्रतिफल” पद की वर्तमान परिभाषा में भी ऐसा संशोधन किया गया है कि इसमें विनिमय द्वारा अन्तरण भी सम्मिलित है।

खंड (ड)—समिति महसूस करती है कि “स्थावर सम्पत्ति” पद की प्रस्तावित परिभाषा का क्षेत्र अत्यधिक सीमित है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थावर सम्पत्ति के अर्जन संबंधी उपबंध भवन के किसी भाग के अन्तरण द्वारा अथवा भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी के सामूहिक अंतरणों द्वारा निष्प्रभावी न हो जायें, इस परिभाषा को इतना व्यापक बनाया जाना चाहिये कि इस में भवन का कोई भाग, अथवा उसमें कोई अधिकार सम्मिलित हो और इस में मशीनरी, संयंत्र, फर्नीचर, फिटिंग अथवा अन्य वस्तुएं भी हों जहां ऐसी मशीनरी, संयंत्र, आदि का अन्तरण किसी भूमि, या भवन या भवन के किसी भाग के साथ किया जाता है। अतः “स्थावर सम्पत्ति” पद की परिभाषा में तदनुसार संशोधन किया गया है।

समिति ने विद्वान्ततः यह बात स्वीकार कर ली है कि आवास सहकारी समितियों के भवनों के (फ्लैटों) के अन्तरण को इस विधान के क्षेत्राधिकार में लाना अत्यावश्यक है। अन्यथा विधि में एक बहुत बड़ी कमी रह जायेगी। तथापि समिति को यह बताया गया कि आवास सहकारी समितियों के मामले में फ्लैट इस प्रकार बेचे अथवा अन्तरित नहीं किये जाते। सामान्यतः सहकारी समितियों के अंश अन्तरित किये जाते हैं। अंशों के स्वामित्व का अधिकार वस्तुतः फ्लैटों के स्वामित्व का अधिकार होता है। फिर

भी चूँकि अंशों के अन्तरण के लिए रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं होती और रजिस्ट्रीकरण सम्पूर्ण विधान का मूल आधार है, इसलिए आवास सहकारी समितियों के फ्लैटों को फिलहाल छोड़ दिया गया है।

अतः समिति सिफारिश करती है कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा अन्य संगत विधियों में संशोधन किया जाना चाहिए जिससे आवास सहकारी समितियों के अंशों के अन्तरण को स्थावर सम्पत्ति माना जाये जिसके अन्तरण की दशा में रजिस्ट्रीकरण आवश्यक होता है।

नया खंड (थ)—समिति ने देखा है कि विधेयक की प्रस्तावित धारा 269 घ (2) (क) और 269 ङ (1) में "हितवद्ध व्यक्ति" शब्दों का प्रयोग हुआ है। समिति महसूस करती है कि इस पद की एक ऐसी परिभाषा जोड़ी जाए कि इसके अंतर्गत विधेयक के उपबंधों के अधीन उस सम्पत्ति के अर्जन के कारण संदेय क्षतिपूर्ति में हित का दावा करने वाले अथवा दावा करने के अधिकारी सभी व्यक्ति आयें। अतः "हितवद्ध व्यक्ति" पद की एक परिभाषा तदनुसार जोड़ी गई है।

(दो) धारा 269 ग—समिति का विचार है जहां अर्जन की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिये परिव्राणों की व्यवस्था की जानी चाहिये वहां विधि के प्रभावी रूप से लागू किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये साक्ष्य के विशेष नियमों की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। समिति सिफारिश करती है, कि परिव्राणों के रूप में, सक्षम प्राधिकारी को अर्जन कार्यवाहियां प्रारंभ करने के पूर्व इन कार्यवाहियों के कारण लिखित रूप में अभिलिखित करने चाहिये और यह कि किसी भी स्थिति में उसे तब तक ये कार्यवाहियां प्रारंभ नहीं करनी चाहिये जब तक उसकी यह राय न हो कि संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके प्रकट प्रतिफल से, ऐसे प्रतिफल के 15 प्रतिशत से अधिक है।

समिति ने इस प्रश्न पर बड़ी गम्भीरता पूर्वक विचार किया कि क्या साक्ष्य के किन्हीं विशेष नियमों की व्यवस्था की जानी चाहिये या नहीं। क्योंकि कर-अपवंचन तथा काले धन का व्यापार बड़े गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए समिति का विचार है कि जब तक साक्ष्य के विशेष नियम लागू नहीं किये जाते तब तक कर-अपवंचन तथा काले धन की बुराईयों पर कारगर दंग से काबू नहीं पाया जा सकेगा। तदनुसार समिति सिफारिश करती है कि यह तथ्य कि अन्तरित की गई किसी संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उस संपत्ति के प्रकट प्रतिफल से, ऐसे प्रकट प्रतिफल के 25 प्रतिशत से अधिक है, इस प्रकार की संपत्ति के अर्जन की कार्यवाहियों में इस बात का पक्का प्रमाण माना जायेगा कि अन्तरण लिखित में संपत्ति के प्रकट प्रतिफल का सत्य कथन नहीं किया गया है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि धारा 269च(8)(क) में जो खंडनीय उपधारणा की व्यवस्था की गई है, अर्थात् यह कि जहां किसी संपत्ति का उस प्रकट प्रतिफल के लिये अन्तरण किया गया है जो उसके उचित बाजार मूल्य से कम है तो यह उपधारणा बनायी जायेगी कि कर-अपवंचन के उद्देश्य से अन्तरण के लिए नहीं किया गया है, वह अर्जन संबंधी कार्यवाहियों की हर अवस्था में लागू होनी चाहिये न कि केवल अर्जन का आदेश देने की अवस्था में।

ऊपर उल्लिखित परिव्राणों तथा साक्ष्य के विशेष नियमों का उपबंध करने हेतु खंड 269 ग में संशोधन किया गया है।

(तीन) धारा 269 ध—(क) समिति सिफारिश करती है कि किसी संपत्ति के अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने की कालावधि की संगणना उस माह के अन्त से की जानी चाहिये जिसमें कि अन्तरण लिखत की रजिस्ट्री कराई गई हो क्योंकि पक्षकारों को इससे कालावधि की सही-सही-संगणना करने तथा अनावश्यक चिन्ता से बचने में सहायता मिलेगी उपधारा (1) के परन्तुक में तदनुसार संशोधन किया गया है।

समिति सिफारिश करती है कि रजिस्ट्रीकरण में होने वाले विलम्ब तथा उसके फलस्वरूप अर्जन की कार्यवाहियों को प्रारंभ करने की अवधि के आरंभ का स्थगन न होने देने की दृष्टि से सरकार एक ऐसी समय-सीमा निर्धारित करने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में संशोधन करने की व्यवहार्यता पर विचार करे जिसके अन्दर उसके अंतर्गत दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण हो जाना चाहिये।

(ख) समिति का विचार है कि अर्जन कार्यवाहियां प्रारंभ करने की सूचना अन्तरक पर भी तामील की जानी चाहिये क्योंकि वह अंतरण में भागीदार होता है। उप-धारा (2)(क) में तदनुसार संशोधन किया गया है।

(चार) धारा 269 ड —समिति का विचार है कि आक्षेप दायर करने की कालावधि पर्याप्त नहीं है। समिति सिफारिश करती है कि उन व्यक्तियों के मामले में जिन पर कार्यवाहियां प्रारंभ करने की सूचना तामील करना अपेक्षित है, यह अवधि सूचना के सरकार राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिन सूचना तामील किये जाने की तारीख से 30 दिन, जिस अवधि का भी बाद में अवसान हो, होनी चाहिये। अन्य मामलों में यह अवधि सूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिन होनी चाहिये। उप-धारा (1) में तदनुसार संशोधन किया गया है।

समिति सिफारिश करती है कि उपधारा (3) के स्थान पर, जो धारा 269 क में "हितबद्ध व्यक्ति" की परिभाषा अन्तःस्थापित करने की उनकी सिफारिश को देखते हुए, व्यर्थ हो गई है, एक नई उप-धारा प्रतिस्थापित की जानी चाहिये। नई उप-धारा में यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिये कि इस धारा के अधीन यह आक्षेप किया जा सकता है कि अर्जित की जाने वाली संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके प्रकट प्रतिफल से, ऐसे प्रकट प्रतिफल के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं है और इसीलिए धारा 269 ग (2)(क) में उपबंधित निश्चयक प्रमाण संबंधी विशेष नियम यहां लागू नहीं होता।

(पांच) धारा 269 च [उप-धारा (2)] — उप-धारा (2) में किया गया संशोधन प्रारूप संबंधी है और नई धारा 269 ण के जोड़े जाने के परिणामस्वरूप हुआ है।

उप-धारा (6)—समिति की यह राय है कि यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि यदि कोई आक्षेप हो तो सक्षम प्राधिकारी को उनको सुनने के पश्चात् तथा अभिलेख की सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात् ही अर्जन का कोई आदेश देना चाहिये। इस उप-धारा के आरंभिक भाग में तदनुसार संशोधन किया गया है। उप-धारा के खंड (ख) में जो संशोधन किया गया है, वह धारा 269 ग (1) में जोड़े गये परन्तुक के फलस्वरूप है। उप-धारा के खंड (ग) में जो संशोधन किया गया है वह प्रारूप संबंधी है।

नई उप-धारा (8) —समिति सिफारिश करती है कि किसी संपत्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के आदेश अन्तरक, अन्तरिती और उस व्यक्ति पर तामील किये जाने चाहिये जिसने ऐसी संपत्ति के अर्जन के विरुद्ध आक्षेप दायर किये हों। तदनुसार, एक नई उप-धारा जोड़ दी गई है और विद्यमान उप-धारा (8) के पुनर्संख्यांकित करके उप-धारा (9) कर दिया गया है।

उप-धारा (9) [मूल उप-धारा (8)]—जो संशोधन किये गये हैं वे परिणामिक हैं अथवा प्रारूप सम्बन्धी हैं। धारा 269 ग की उप-धारा (2) के खंड (ख) में किये गये उपबन्ध को देखते हुए इस उप-धारा के खंड (क) का लोप कर दिया गया है।

(छ:) धारा 269 छ और धारा 269 ज (मूल धारा 269 छ)—समिति का विचार है कि सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील जैसा कि विधेयक में उपबन्ध है प्रशासनिक निकाय से की जाकर न्यायिक न्यायाधिकरण से की जानी चाहिये। समिति का विचार है कि एक ऐसे व्यक्ति; की जिसे अपेक्षाकृत एक छोटी रकम के निर्धारण आदेश के विरुद्ध भी न्यायिक न्यायाधिकरण से अर्थात् आय कर अपील अधिकरण से अपील करने का अधिकार है, यदि किसी अच्छी खासी रकम की संपत्ति के किसी अर्जन आदेश के विरुद्ध ऐसे न्यायाधिकरण से अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया तो यह बात पूर्ण रूप से अनुचित तथा अयुक्तिसंगत होगी। अतः समिति सिफारिश करती है कि सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलें आयकर अपीलीय अधिकरण से की जानी चाहिये। तथापि, समिति का विचार है कि निर्धारण के मामलों में अपीलीय अधिकरण के आदेशों से उत्पन्न होने वाले विधि के प्रश्नों को उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बिलम्ब होता है और यह प्रक्रिया अर्जन के मामलों में उपयुक्त नहीं है। अतः समिति सिफारिश करती है कि अर्जन के मामलों में सम्बद्ध पक्षकारों को यह अधिकार दिया

जाना चाहिये कि वे अपील अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध विधि के किसी भी प्रश्न को लेकर सीधे उच्च न्यायालय में अपील कर सकें।

तदनुसार दो नयी धाराएँ—(धारा 269 छ और धारा 269 ज), जिनमें क्रमशः अपील अधिकरण तथा उच्च न्यायालय में अपील करने का उपबन्ध है, 269 छ के स्थान पर प्रतिस्थापित की गई हैं।

(सात) धारा 269 झ (मूल धारा 269 ज) :—

उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण में जो संशोधन किये गये हैं, वे अपील अधिकरण तथा उच्च न्यायालय में अपील करने सम्बन्धी नये उपबन्धों के परिणामस्वरूप किये गये हैं।

(आठ) धारा 269 ट (मूल धारा 269 झ) :—

समिति सिफारिश करती है कि वित्त विधेयक, 1972 में की गई व्यवस्था के अनुरूप व्याज की दर 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी जानी चाहिये। उप-धारा (4) में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है। इस धारा में किये गये अन्य संशोधन पारिणामिक हैं।

(नौ) धारा 269 ठ (मूल धारा 269 ट) :—

उप-धारा (3) का लोप नई धारा 269 ण के अन्तःस्थापन के परिणामस्वरूप हुआ है। इस धारा में किये गए अन्य संशोधन भी पारिणामिक हैं।

(दस) धारा 269 ड (मूल धारा 269 ट) तथा धारा 269 ड (मूल धारा 269 ड) :—

इन धाराओं में किये गए संशोधन प्रारूपण सम्बन्धी या पारिणामिक हैं।

(ग्यारह) नई धारा 269 ण :—

समिति सिफारिश करती है कि यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि कोई व्यक्ति जो सक्षम अधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष हाजिर होने का हकदार है, उस दशा के सिवाए जहां वह व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए अपेक्षित है, आयकर अधिनियम की धारा 288 के अर्थ के अन्दर प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हाजिर हो सकता है। समिति यह भी सिफारिश करती है ऐसे मामले, जिनमें कोई व्यक्ति किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा हाजिर हो सकता है, एक पृथक धारा में रखे जायें। तदनुसार, नई धारा 269 ण जोड़ी गई है।

(बारह) धारा 269 त (मूल धारा 269 ड) :—

जो संशोधन किये गए हैं वे पारिणामिक हैं।

(तेरह) (नई धारा 269 ध) :— समिति अनुभव करती है कि नातेदारों को नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किये गए अन्तरण के सम्बन्ध में अर्जत के उपबन्ध लागू नहीं होने चाहिये क्योंकि ऐसे मामलों में उचित बाजार मूल्य से कम प्रतिफल कर-अपवंचन की दृष्टि से नहीं अपितु पक्षकारों के बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण स्वीकार किया गया है। तदनुसार नई धारा 269 थ जोड़ दी गई है।

16. नया खंड 6:— समिति अनुभव करती है कि कोई निर्धारित जो किसी आय-कर प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष किसी आस्ति के मूल्यांकन से सम्बद्ध किसी मामले के सम्बन्ध में उपस्थित होने के लिए हकदार है या अपेक्षित है, उस दशा के सिवाए जहां वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए अपेक्षित है, उसे रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा उपस्थित होने की अनुमति होनी चाहिये। तदनुसार, आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 287 क अन्तःस्थापित करने के लिए एक खण्ड जोड़ा गया है।

17. खण्ड 10 (मूल खण्ड 9) :— इस खण्ड में किये गए संशोधनों में वे मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं जिनके आधार पर धन-कर अधिकारी, किसी मूल्यांकन अधिकारी को किसी आस्ति के मूल्यांकन के लिए निर्देश कर सकता है। इसकी व्याख्या पूर्वोक्त पैराग्राफ 14 में की गई है।

18. खण्ड 14 (मूल खण्ड 13) :— समिति सिफारिश करती है कि धन-कर अधिनियम में इस खण्ड द्वारा अन्तःस्थापित की जाने वाली नई धारा 34 क क में यह व्यवस्था करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिये कि कोई व्यक्ति जो धन-कर प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष किसी आस्ति के मूल्यांकन के सम्बन्ध में हाजिर होने के लिए अपेक्षित है उस दशा के सिवाए जहां वह व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए अपेक्षित है, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन द्वारा हाजिर हो सकता है। इस धारा में तदनुसार संशोधन किया गया है।

19. खण्ड 16 (मूल खण्ड 15) :— समिति यह अनुभव करती है कि रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा मिथ्या सत्यापन के कुछ मामलों में केवल छः महीने तक के कारावास या केवल जुमनि का दण्ड पर्याप्त नहीं होगा। इसलिये समिति सिफारिश करती है कि न्यायालय के हाथ में दोनों दण्डों को अधिरोपित करने का अधिकार होना चाहिये। इसलिये, धन-कर अधिनियम की धारा 36 में अन्तःस्थापित की जाने वाली उप-धारा (2 ख) में तदनुसार संशोधन किया गया है। इस उप-धारा में जो दूसरा संशोधन किया गया है वह उस प्रत्यक्ष गलती का सुधार करने के लिए है जिसके परिणामस्वरूप दुराशय सम्बन्धी अपेक्षित उपबन्ध छूट गया था।

20. खण्ड 18 (मूल खण्ड 17) :— समिति ने देखा है कि धारा 38 क के अधीन, जिसे इस खण्ड द्वारा धन-कर अधिनियम में अन्तःस्थापित किया जा रहा है, मूल्यांकन अधिकारी को, जिसे किसी निर्धारिती के निर्धारण के सम्बन्ध में निर्देश किया गया है, केवल उसी भवन या अन्य स्थान पर प्रवेश का अधिकार होगा, जो निर्धारिती के अधिभोग में है। समिति अनुभव करती है कि ऐसी दशा में जहां कोई भूमि निर्धारिती के अधिभोग या स्वामित्व में है या उसके स्वामित्व में कोई भवन या अन्य स्थान है। मूल्यांकन अधिकारी को ऐसी भूमि, भवन या अन्य स्थान पर प्रवेश करने का भी अधिकार दिया जाना चाहिये। नई धारा 38 क की उप-धारा (1) (ख) में तदनुसार संशोधन किया गया है।

21. खण्ड 21 (मूल खण्ड 20) :— इस खण्ड में किए गए संशोधन में वे मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं जिसके आधार पर दान-कर अधिकारी मूल्यांकन अधिकारी को किसी सम्पत्ति के मूल्यांकन के लिए निर्देश कर सकता है। इसकी व्याख्या पूर्वोक्त पैराग्राफ 14 में की गई है।

22. नया खण्ड 24 :— समिति अनुभव करती है कि जिस प्रकार आय-कर अधिनियम के अधीन (देखिये खण्ड 6, नई धारा 287 क, व्याख्या पूर्वोक्त पैराग्राफ 16 में की गई है)। मूल्यांकन से सम्बद्ध किसी मामले के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा हाजिर होने की सुविधा दी गई है वैसे ही सुविधा दान-कर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारितियों को दी जानी चाहिये। इसलिए तदनुसार एक नई धारा 43 क जोड़ी गई है।

23. खण्ड 1 तथा अधिनियमन सूत्र :— इसमें किये गये संशोधन औपचारिक है।

24. प्रवर समिति सिफारिश करती है कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।

नई दिल्ली;

10 मई, 1972

20 बैसाख, 1894 (शक)

भागवत भा आजाद,

सभापति,

प्रवर समिति।

विमति टिप्पण

एक

इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि कर-वंचन, काले धन का संग्रह और उसका परिचालन अत्यधिक बढ़ गया है। प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी जांच समिति ने इस प्रश्न से सम्बन्धित एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। भारत सरकार को अब प्रतिवेदन का अन्तिम रूप भी मिल गया है। इसके बाद भी सरकार कर-वंचन के सम्बन्ध में केवल यह शिथिल और अत्यन्त सीमित विधेयक ही पेश कर सकी है जिसका क्षेत्र इतना संकीर्ण है कि वह नगण्य सा लगता है।

2. यह विधेयक कर-वंचन को रोकने के लिये अन्तरण के लिए कुछ मामलों में स्थावर सम्पत्ति के अर्जन तक सीमित है और एक प्रकार से निवारक का कार्य करता है। एकत्र किये हुये काले धन को, जो कि अरबों रुपयों में है, छिपाने का एक तरीका स्थावर सम्पत्ति का है। सरकार को केवल कर-वंचन को रोकने के लिए ही प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिये अपितु अनुचित रूप से प्राप्त सारे धन का विकास के संसाधन के रूप में उपयोग के लिए अर्जन कर लेना चाहिए। इस बात को दृष्टि में रखते हुये, कराधान विधि में किसी प्रकार के संशोधन में अनिवार्य रूप से यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि उस सभी स्थावर सम्पत्ति का जिसका निर्धारण हेतु कर-वंचन के प्रयोजन से कम मूल्यांकन किया जायेगा, पूरी तरह से अर्जित कर लिया जायेगा।

3. इस स्थिति में भी इस विधेयक के अनुसार यह विधिक रूप से बाध्य कर नहीं है कि ऐसे प्रकट प्रतिफल के लिए अन्तरित प्रत्येक सम्पत्ति का अर्जन कर दिया जाये जो कि उस सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम है। अधिक से अधिक यह केवल एक समर्थकारी विधान है। इस विधि का कठोरता से क्रियान्वयन करना सरकार की नीतियों पर निर्भर है। सरकार द्वारा इस विधान को पूरी तरह से लागू करना विधि द्वारा आबद्ध होना चाहिये।

4. कर-वंचन को रोकने के उद्देश्य से कराधान विधि में किये गये संशोधन में ही ऐसी कमियां नहीं होनी चाहिये कि इसका भी वंचन किया जा सके। यह बात ध्यान देने योग्य है कि लोग अब भी इस विधेयक को निष्फल बनाने के लिये अनेक उपाय निकाल सकते हैं। यह बात खेदजनक है कि समिति ने इन सम्भावित कमियों को दूर करने का कोई गंभीर प्रयत्न नहीं किया है।

5. अध्याय 20क की धारा 269ग की उप-धारा (1) में यह कहा गया है कि केवल पच्चीस हजार रुपये से अधिक उचित बाजार मूल्य की स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में ही, ऐसे प्रकट प्रतिफल के लिए अन्तरित किये जाने पर जो उस सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 15 प्रतिशत कम है, अर्जन के लिए कार्यवाहियां प्रारम्भ की जा सकती हैं। यहां पच्चीस हजार रुपये के न्यूनतम मूल्य की पूर्ति इस विधान से बचने के लिए अक्सर पैदा करती है। पच्चीस हजार रुपये से अधिक बाजार मूल्य वाली स्थावर सम्पत्ति को इस प्रकार से विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है कि किसी प्रकट प्रतिफल पर अन्तरण के लिए प्रत्येक भाग का बाजार मूल्य पच्चीस हजार रुपये से कम हो। छोटे आदमी के हित के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम राशि की यह सीमा, केवल बड़े आदमियों को बचने के लिए अवसर देती है। इस बारे में किसी प्रकार की न्यूनतम सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है और "पच्चीस हजार रुपये से अधिक" शब्दों को हटाया जा सकता है और इससे छोटे आदमी पर किसी प्रकार का गंभीर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा क्योंकि छोटे आदमी के पास न तो काला धन होता है और न ही वह इसका उपयोग कर सकता है।

6. इसी अध्याय की धारा 269घ उप-धारा (1) में वह व्यवस्था है कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्तरण लिखत का रजिस्ट्रीकरण जिस मास में हुआ है उसकी समाप्ति से छह मास की कालावधि के अवसान के पश्चात् किसी स्थावर सम्पत्ति की बाबत कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जाएगी। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि यदि कार्यवाही बिना किसी प्रकार के विलम्ब से की जाती है तो वह बहुत ही अच्छा होगा बल्कि यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित व्यक्तियों पर ऐसे विलम्बों के लिए शास्ति भी लगायी जा सकती है किन्तु छह मास की कालावधि के अवसान के पश्चात् कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं किये जाने की व्यवस्था करने और साथ ही अत्यधिक विलम्बों के लिए किसी प्रकार की शास्ति की व्यवस्था न होने से इस विधान से बचने का मार्ग खुल जाता है। यह आम बात है कि अधिकारी-

गण, विशेषकर तब जब कि कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब के सम्बन्ध में किसी प्रकार की निगरानी की व्यवस्था नहीं है, प्रतिफल के लिए प्रवचकों के साथ साठ-गांठ करते हैं। यह तर्क कि प्रत्येक अन्तरक और अन्तरिती को छह महीने आकुलता से बिताने होंगे, यह कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति धोखेबाज है जो कर-वंचन का प्रयत्न कर रहा है और यह कि ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार की आकुलता के रूप में असीमित समय तक के लिए सजा मिलनी चाहिये। सिद्धांत यह होना चाहिये कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जो स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण में कर-वंचन कर प्रयत्न करता है, बिना किसी समय सीमा के कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी जैसा कि अन्य दण्डिक अपराधों में होता है।

7. इसी अध्याय की धारा 269 अ की उपधारा (1), जिसमें सम्पत्ति के अर्जन के लिए 15 प्रतिशत मुआवजे की व्यवस्था है, के कारण पूरा विधेयक ही एक ढोंग तथा उपहास की वस्तु बन कर रह गया है। हालांकि प्रवर समिति ने इस उपबन्ध पर गम्भीरता से विचार किया था तथा विधि मंत्रालय की सलाह भी ली थी और यह सामान्य धारणा थी कि कर-वंचन के लिए शास्ति सम्बन्धी विधेयक में यह उपबन्ध नहीं होना चाहिए, फिर भी अन्ततः यह कमजोर सा तर्क मान लिया गया कि इस उपबन्ध को पर्याप्त सावधानी के रूप में बनाये रखा जाये ताकि कोई न्यायालय यह कह कर पूरे विधेयक को रद्द न कर दे कि चूंकि भूमि अर्जन अधिनियम में 15 प्रतिशत मुआवजे की व्यवस्था है, अतः हो सकता है कि सरकार इस विधेयक का पक्षपात पूर्ण प्रयोग करे। यह एक ऐसा गम्भीर मामला है जिसे इस प्रकार सुगमता से निपटाने की बजाय आवश्यक होने पर न्यायपालिका के साथ विचार-विमर्श करके उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए थी।

8. आशा है कि यह विधेयक जिसे प्रवर समिति ने स्वीकार कर लिया है, ऊपर सुझाये गये सुधारों के साथ और बिना विनम्र के संवद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जायेगा और इस प्रकार शीघ्र ही देश का कानून बन जायेगा।

नई दिल्ली;

8 मई, 1972

18 बैशाख, 1894 (शक)

क. बालतन्डायुतम

दो

1. मैंने प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार किया है और मैं कुल मिलाकर समिति के विधेयक सम्बन्धी विचारों से सहमत हूँ। फिर भी मुझे खेद है कि प्रतिवेदन में निर्दिष्ट विधेयक के दो अत्यन्त मूलभूत उपबन्धों के सम्बन्ध में मुझे विमति टिप्पण देना पड़ रहा है। विधेयक का एक मूल उद्देश्य यह भी है कि वह सम्पत्तियों के अन्तरण के समय उनका मूल्य कम दिखाकर कर-अपवंचन करने वाले नागरिकों को ऐसा करने से रोके, जो कि सैद्धांतिक रूप में वास्तव में बहुत प्रशंसनीय तथा स्तुल्य है। परन्तु व्यवहार रूप में यह होता है कि जब कड़े उपबन्धों से वित्तीय विधान और कड़ा बना दिया जाता है तो कर देने के मामले में धोखाधड़ी करने वाले तथा कर-अपवंचन बड़ी कुशलता से उसके शिकंजे में न फंसने के रास्ते निकाल लेते हैं। इस पचड़े में यदि कोई फंसता है तो वह है सीधा साधा बेचारा ईमानदार नागरिक जो अनुचित, अनावश्यक तथा लम्बे असें तक चलने वाली मुकदमेबाजी में तथा कर-अपवंचन रोकने के लिये बनाये गये कर अपराध कानूनों में अन्तर्निहित अन्य परेशानियों में फंस जाता है। ऐसा न होने देने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिये और इसी कारण मुझे मजबूर होकर यह विमति-टिप्पण लिखना पड़ रहा है।

2. मेरी राय है कि इस कर विधान में, जिसकी कि अब सिकारिश की गई है, ईमानदार तथा सीधे साधे निर्धारिती के परेशान किये जाने उसका खर्चा करवाने तथा उसे लम्बी मुकदमेबाजी में फंसाने की काफी गुंजाइश है। अन्तरित की जाने वाली स्थावर संपत्तियों के उचित बाजार मूल्य के अवास्तविक तथा मनमाने निर्धारण के आधार पर प्राधिकारियों द्वारा अवास्तविक निर्णय करने की स्थिति में तो ऐसा होता अवश्यभावी है।

3. खण्ड 4 में आयकर अधिनियम, 1961 में एक नया अध्याय 20 क अन्तःस्थापित करने की व्यवस्था है। उक्त अध्याय में विधेयक द्वारा प्रस्तावित धारा 269 क से 269 घ धारा तक नई धाराएँ होंगी। प्रस्तावित धारा 269 क (घ) में अन्तरित की गई स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में "उचित बाजार मूल्य" वह मूल्य बताया गया है जो "उस सम्पत्ति के अन्तरण तिथि के निष्पादन की तारीख को खूले बाजार में विक्रय से सामान्यतः उस सम्पत्ति के लिए प्राप्त होता," परन्तु इसमें इस

बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि इस प्रकार का उचित बाजार मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जायेगा। अब जिस विधान का प्रस्ताव किया गया है वह सम्पूर्ण विधान सक्षम प्राधिकारी में व्यापक शक्तियां निहित करता है कि जब "उचित बाजार मूल्य" तथा अन्तरण लिखत में दिखाये गये प्रकट प्रतिफल के बीच अन्तर हो तो वह मूल्यांकन अधिकारी द्वारा दी गई मूल्यांकन रिपोर्ट मात्र के आधार पर स्थावर सम्पत्ति को अर्जित कर सकता है। विभाग के मूल्यांकन अधिकारी की राय तथा अनेक अधिकृत व्यवसायिक मूल्यांककों की राय आपस में भिन्न हो सकती हैं फिर भी स्थावर सम्पत्ति के विभाग द्वारा स्वयं अपने मूल्यांकन के आधार पर अर्जन कार्यवाहियां प्रारम्भ की जा सकती हैं तथा नागरिक का इन कार्यवाहियों में अन्तर्निहित परेशानियों में डाला जा सकता है। मेरी विनम्र राय यह है कि इस व्यवस्था के द्वारा विभागीय मूल्यांकन अधिकारी की राय को बेजा तथा अनुचित महत्व दिया गया है।

4. तथापि, उक्त परिभाषा इतनी अनिश्चित तथा अस्पष्ट है कि सम्पत्ति के मूल्यांकन के क्षेत्र में पट्टे से पट्टे व्यक्ति भी इस बारे में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकेगा, कि सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसकी परिभाषा के अनुसार क्या है किसी निश्चित निष्कर्ष का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अतः मेरी विनम्र परन्तु पक्की राय यह है कि विधि में इस बात की स्पष्ट तथा निश्चित शब्दों में व्यवस्था होनी चाहिये कि "उचित बाजार मूल्य" निश्चित करने का मानदण्ड तथा मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या होंगे। उचित बाजार मूल्य को मूल्यांककों द्वारा किये जाने वाले उन परीक्षणों का मुहरा नहीं बनने देना चाहिये जो कि वे उस सम्पत्ति के खुले बाजार में मूल्य का अनुमान लगाने में करते हैं। सांविधिक मानदण्ड तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उचित बाजार मूल्य की परिभाषा और सुस्पष्ट की जानी चाहिये।

5. स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करते समय अनेकों भिन्न भिन्न तथा विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है और जब तक, विधि द्वारा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, कुछ मानदण्ड अथवा मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित नहीं किये जाते तब तक ईमानदार से ईमानदार, सीधे सच्चे नागरिक के भी इस विधेयक के उपबन्धों के द्वारा परेशानी में पड़ने की संभावना बनी रहेगी। यह कहना कि स्थावर संपत्तियों के अन्तरण के ऐसे सौदे, जिनके पीछे सदाशयता तथा ईमानदारी की भावना रही हो, इस विधान के क्षेत्राधिकार के बाहर रहेंगे, मेरी राय में इस बात का द्योतक है कि समस्या को बहुत सरल मान लिया गया है। अतः यह आवश्यक उचित बाजार मूल्य की परिभाषा और अधिक व्यापक, निश्चित तथा किसी भी ईमानदार नागरिक द्वारा आसानी से समझी जा सकने योग्य बनाई जानी चाहिये।

6. मैं इस समिति के प्रस्तावित धारा 269 ग सम्बन्धी प्रतिवेदन से भी सहमत नहीं हूँ। उक्त धारा के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को अर्जन सम्बन्धी कार्यवाहियां प्रारम्भ करने का अधिकार है यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि पच्चीस हजार रुपये से अधिक उचित बाजार मूल्य की कोई स्थावर संपत्ति का किसी ऐसे प्रकट प्रतिफल के लिये अन्तरण किया गया है जिसका अन्तरण लिखत में असत्य कथन किया गया हो और जो अन्तरक पर पड़ने वाले कर को कम करने अथवा कर-अपवंचन के लिये अथवा किसी आय अथवा धन को अथवा आस्तियों को, जिनको कि अन्तरिती को आयकर अधिनियम तथा धनकर अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्रकट कर देना चाहिये था, छिपाने के उद्देश्य से किया गया हो।

7. इस प्रकार का उपबन्ध स्थावर संपत्ति के किसी सच्चे तथा सदाशयी अन्तरक को भी अचम्भे में डाल देगा। मेरी राय में इस समय अनुभवात् इस प्रकार के कड़े विधान में उन नागरिकों के लिये उपयुक्त उपबन्ध किया जाना आवश्यक है जो अन्तरित की जाने वाली संपत्ति के विक्रय से पूर्व ही उपयुक्त फीस आदि देकर उसके "उचित बाजार मूल्य" के बारे में विभाग की राय ले सकें। ताकि यदि भावी विक्रेता का कर-अपवंचन का कोई इरादा न हो और फिर भी उसे अपने कठिनाईयों में फंसने की शंका हो तो वह संपत्ति को बिल्कुल न बेचने अथवा खरीदने का निश्चय कर सके या उसके विक्रय मूल्य में संशोधन कर सके या फिर विभाग का मूल्यांकन न मानते हुए इस आशा से उसकी विक्री कर सके कि उसका अपना मूल्यांकन ईमानदारी पर आधारित होने के नाते अपील में सही माना जायेगा। अतः मेरी राय है कि धारा 269ग में पूर्व-सत्यापन के उपयुक्त उपबन्ध होने चाहिये जैसा कि यहां ऊपर कहा गया है।

8. कर विधि सम्बन्धी एक प्रसिद्ध आलोचक ने कहा है कि "हमारी वित्तीय विधि में संशोधनों" तथा जटिलताओं के समाप्त न होने वाले तांते के कारण जनता की तथा आयकर विभाग की कितनी अधिक बुद्धि और मेहनत बेकार जाती है, उस पर वास्तव में विश्वास नहीं किया जा सकता।"

इस प्रकार के संशोधन अभी कुछ ही वर्ष पूर्व सरलीकरण की दृष्टि से किये गये थे परन्तु इन्होंने उल्टे विधि की जटिलताओं को बढ़ा कर उसको अबोधगम्य बना दिया। अब काले धन का पता लगाने के नाम पर कर विधि को और कड़ा बनाने के लिये जो संशोधन किये जा रहे हैं उससे जटिलता और भी बढ़ती जा रही है। हमारा केवल यही दुर्भाग्य नहीं है, अपितु स्थिति इससे भी बदतर है। और यही वजह है कि इन कठोर उपबन्धों के फलस्वरूप जहाँ अच्छे खासे खाते-पीते लोग कर-अपवंचन करके मजे मार रहे हैं वहाँ ईमानदार तथा कानून को मानने वाले नागरिकों पर कर विभाग अनुचित रूप से अत्याचार कर रहा है और उनको बिल्कुल भी बखशा नहीं जा रहा है। इस प्रकार के संशोधनों का विरोध किया जाना चाहिये चाहे उनके परिणाम कुछ भी हों।

पीलू मोदी

नई दिल्ली;

8 मई, 1972

18 वंशाब्द, 1894 (शक)

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक,

1971

खंडों का क्रम

अध्याय 1

प्रारंभिक

खण्ड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

अध्याय 2

आय-कर अधिनियम, 1961 में संशोधन

2. नई धारा 55क का अन्तःस्थापन ।
3. धारा 254 का संशोधन ।
4. नए अध्याय 20क का अन्तःस्थापन ।
5. नई धारा 281क का अन्तःस्थापन ।
6. नई धारा 287क का अन्तःस्थापन ।

अध्याय 3

धन-कर अधिनियम, 1957 में संशोधन

7. धारा 2 का संशोधन ।
8. धारा 7 का संशोधन ।
9. नई धारा 12क का अन्तःस्थापन ।
10. नई धारा 16क का अन्तःस्थापन ।
11. धारा 23 का संशोधन ।
12. धारा 24 का संशोधन ।
13. धारा 26 का संशोधन ।
14. नए अध्याय 7ख का अन्तःस्थापन ।
15. धारा 35 का संशोधन ।

(ii)

16. धारा 36 का संशोधन ।
17. धारा 37 का संशोधन ।
18. नई धारा 38क का अन्तःस्थापन ।
19. धारा 46 का संशोधन ।

अध्याय 4

दान-कर अधिनियम, 1958 का संशोधन

20. धारा 2 का संशोधन ।
21. धारा 15 का संशोधन ।
22. धारा 23 का संशोधन ।
23. धारा 25 का संशोधन ।
24. नई धारा 43क का अन्तःस्थापन ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

25. व्यावृत्ति और विशेष उपबन्ध ।

अध्याय 6

1. धारा 2 का संशोधन ।
2. धारा 15 का संशोधन ।
3. धारा 23 का संशोधन ।
4. धारा 25 का संशोधन ।
5. धारा 43क का अन्तःस्थापन ।

अध्याय 7

अध्याय 8

1. धारा 2 का संशोधन ।
2. धारा 15 का संशोधन ।
3. धारा 23 का संशोधन ।
4. धारा 25 का संशोधन ।
5. धारा 43क का अन्तःस्थापन ।
6. धारा 46 का संशोधन ।
7. धारा 47 का संशोधन ।
8. धारा 48 का संशोधन ।
9. धारा 49 का संशोधन ।
10. धारा 50 का संशोधन ।
11. धारा 51 का संशोधन ।
12. धारा 52 का संशोधन ।
13. धारा 53 का संशोधन ।
14. धारा 54 का संशोधन ।
15. धारा 55 का संशोधन ।
16. धारा 56 का संशोधन ।
17. धारा 57 का संशोधन ।
18. धारा 58 का संशोधन ।
19. धारा 59 का संशोधन ।
20. धारा 60 का संशोधन ।
21. धारा 61 का संशोधन ।
22. धारा 62 का संशोधन ।
23. धारा 63 का संशोधन ।
24. धारा 64 का संशोधन ।
25. धारा 65 का संशोधन ।
26. धारा 66 का संशोधन ।
27. धारा 67 का संशोधन ।
28. धारा 68 का संशोधन ।
29. धारा 69 का संशोधन ।
30. धारा 70 का संशोधन ।
31. धारा 71 का संशोधन ।
32. धारा 72 का संशोधन ।
33. धारा 73 का संशोधन ।
34. धारा 74 का संशोधन ।
35. धारा 75 का संशोधन ।
36. धारा 76 का संशोधन ।
37. धारा 77 का संशोधन ।
38. धारा 78 का संशोधन ।
39. धारा 79 का संशोधन ।
40. धारा 80 का संशोधन ।
41. धारा 81 का संशोधन ।
42. धारा 82 का संशोधन ।
43. धारा 83 का संशोधन ।
44. धारा 84 का संशोधन ।
45. धारा 85 का संशोधन ।
46. धारा 86 का संशोधन ।
47. धारा 87 का संशोधन ।
48. धारा 88 का संशोधन ।
49. धारा 89 का संशोधन ।
50. धारा 90 का संशोधन ।
51. धारा 91 का संशोधन ।
52. धारा 92 का संशोधन ।
53. धारा 93 का संशोधन ।
54. धारा 94 का संशोधन ।
55. धारा 95 का संशोधन ।
56. धारा 96 का संशोधन ।
57. धारा 97 का संशोधन ।
58. धारा 98 का संशोधन ।
59. धारा 99 का संशोधन ।
60. धारा 100 का संशोधन ।

(i)

[दि टैक्सेशन लाज (अमेन्डमेंट) बिल, 1971 का हिन्दी अनुवाद]

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1971

[जैसा प्रवर समिति ने रिपोर्ट किया है]

[जिन शब्दों के नीचे या पार्श्व में रेखाएं खिंची हैं वे समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन हैं, जहां तारांक चिह्न हैं वहां लोप किया गया है]

आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957 और
दान-कर अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

- 5 1. (1) यह अधिनियम कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम और
1972 कहा जा सकता है। प्रारम्भ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उप-बन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं।

अध्याय 2

आय-कर अधिनियम, 1961 में संशोधन

5

नई धारा 55क का
अन्तःस्थापन।

2. आय-कर अधिनियम, 1961 में (जिसे इसमें इसके आगे आय-कर अधिनियम कहा गया है), धारा 55 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

1961 का 43

मूल्यांकन अधिकारी
को निर्देश।

“55क. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए पूंजीगत आस्ति का उचित बाजार मूल्य अभिनिश्चित करने की दृष्टि से, आय-कर अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी को किसी पूंजीगत आस्ति के मूल्यांकन के लिए निर्देश—

10

(क) उस दशा में कर सकता है जहां, आस्ति का मूल्य, जिसका निर्धारिती ने दावा किया है, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए प्राक्कलन के अनुसार है, यदि आय-कर अधिकारी की यह राय है कि इस प्रकार दावा किया गया मूल्य उसके उचित बाजार मूल्य से कम है;

15

(ख) किसी अन्य दशा में कर सकता है, यदि आय-कर अधिकारी की यह राय है,—

(i) कि आस्ति का उचित बाजार मूल्य, आस्ति के उस मूल्य से, जिसका निर्धारिती ने दावा किया है, आस्ति के उस मूल्य के, जिसका इस प्रकार दावा किया गया है, इतने प्रतिशत से या इतनी रकम से अधिक है जो इस निमित्त विहित की जाए, या

20

(ii) आस्ति की प्रकृति और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा करना आवश्यक है;

25

और जहां ऐसा निर्देश किया जाता है, वहां धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 16क की उपधारा (2), (3), (4), (5) और (6), धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) और (झ), और उपधारा (3क) और (4), धारा 24 की उपधारा (5), धारा 34कक, धारा 35 और धारा 37 के उपबन्ध, आवश्यक उपान्तरों सहित ऐसे निर्देश के सम्बन्ध में, लागू होंगे जैसे वे उस अधिनियम की धारा 16क की उपधारा (1) के अधीन-धन-कर अधिकारी द्वारा किए गए निर्देश के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

1957 का 27

30

स्पष्टीकरण—इस धारा में, “मूल्यांकन अधिकारी” का वही अर्थ है जो धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 2 के खण्ड (द) में है।”

1957 का 27

36

धारा 254 का
संशोधन।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 254 में उपधारा (1क) का लोप कर दिया जाएगा।

4. आय-कर अधिनियम में अध्याय 20 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

नए अध्याय 20क का अन्तःस्थापन।

अध्याय 20क

कर-बंजन के निवारण के लिए कुछ अन्तरणों की दशाओं में स्थावर सम्पत्ति का अर्जन

5

269क. इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं।

(क) "प्रकट प्रतिफल" से अन्तरित स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में अभिप्रेत है,—

10

(i) यदि अन्तरण विक्रय के रूप में है तो, अन्तरण लिखत में विनिर्दिष्ट ऐसे अन्तरण का प्रतिफल,

(ii) यदि अन्तरण विनियम के रूप में है तो,—

15

(क) उस दशा में जहां अन्तरण का प्रतिफल एक वस्तु या एक से अधिक वस्तुएं हैं वहां, वह कीमत जो ऐसी वस्तु या वस्तुओं का अन्तरण लिखत के निष्पादन की तारीख को खुले बाजार में विक्रय करने पर सामान्यतया प्राप्त होगी,

20

(ख) उस दशा में जहां अन्तरण का प्रतिफल एक वस्तु या एक से अधिक वस्तुएं और धनराशि है वहां, उस कीमत का जो ऐसी वस्तु या वस्तुओं का अन्तरण लिखत के निष्पादन की तारीख को खुले बाजार में विक्रय करने पर सामान्यतया प्राप्त होगी और ऐसी राशि का योग;

25

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से धारा 269ख के अधीन इस अध्याय के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत आय-कर सहायक आयुक्त अभिप्रेत है;

30

(ग) "न्यायालय" से आरम्भिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है जब तक कि केन्द्रीय सरकार ने किसी विशेष न्यायिक अधिकारी को किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के अन्दर इस अधिनियम के अधीन न्यायालय के कृत्यों को करने के लिए नियुक्त न किया हो (जैसा कि वह इसके द्वारा करने के लिए प्राधिकृत है);

35

(घ) "उचित बाजार मूल्य" से, किसी अन्तरित स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह कीमत अभिप्रेत है जो उस सम्पत्ति के अन्तरण लिखत के निष्पादन की तारीख को खुले बाजार में विक्रय पर सामान्यतः उस सम्पत्ति के लिए प्राप्त होती;

40

(ड) "स्थावर सम्पत्ति" से कोई भूमि या कोई भवन या भवन का कोई भाग अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत जहां कोई भूमि या कोई भवन या भवन का कोई भाग किसी मशीनरी, संयंत्र, फर्नीचर, फिटिंग या अन्य वस्तुओं के साथ अन्तरित की जाती है वहां ऐसी मशीनरी, संयंत्र, फर्नीचर, फिटिंग या अन्य वस्तुएं भी हैं;

5

स्पष्टीकरण— इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, भूमि, भवन, भवन का भाग, मशीनरी, संयंत्र, फर्नीचर, फिटिंग और अन्य वस्तुओं के अन्तर्गत उनमें कोई अधिकार भी है;

10

(च) "अन्तरण लिखत" से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकृत अन्तरण लिखत अभिप्रेत है;

1908 का 16

(छ) "हितवद्ध व्यक्ति" के अन्तर्गत स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में वे सभी व्यक्ति हैं जो इस अध्याय के अधीन उस सम्पत्ति के अर्जन के कारण संदेय प्रतिकर में हित का दावा करते हैं या दावा करने के हकदार हैं;

15

(ज) "अन्तरण" से किसी स्थावर सम्पत्ति सम्बन्ध में ऐसी सम्पत्ति का विक्रय या विनिमय के रूप में अन्तरण अभिप्रेत है।

नाम प्राधिकारी।

269ख. (1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा,—

20

(क) इतने आय-कर सहायक आयुक्तों को, जिन्हें वह ठीक समझे, इस अध्याय के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है; और

25

(ख) उन स्थानीय सीमाओं को परिनिश्चित कर सकती है जिनके अन्दर सक्षम प्राधिकारी इस अध्याय के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

(2) धारा 269ग में निर्दिष्ट किसी स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में इस अध्याय के किसी उपबन्ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले किन्हीं कृत्यों की बाबत उसमें निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी,

30

(क) उस दशा में जहां ऐसी सम्पत्ति एक सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर स्थित है, ऐसा सक्षम प्राधिकारी होगा;

35

(ख) उस दशा में जहां ऐसी सम्पत्ति दो या अधिक सक्षम प्राधिकारियों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर स्थित है, बोर्ड द्वारा धारा 295 के अधीन इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसी सम्पत्ति

के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों को करने के लिए सक्षम सक्षम प्राधिकारी होगा।

5 (3) कोई व्यक्ति उस तारीख से, जिसको सक्षम प्राधिकारी ने किसी स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के लिए धारा 269घ के अधीन कार्यवाहियां प्रारम्भ की हैं, तीस दिन के अवसान के पश्चात् ऐसी स्थावर सम्पत्ति की बाबत ऐसे सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता को प्रश्नगत नहीं करेगा।

10 (4) उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन, जहां सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता प्रश्नगत की जाती है, वहां सक्षम प्राधिकारी, यदि उसका दावे के सही होने के बारे में समाधान हो जाता है तो, तदनुसार लिखित रूप में प्रश्न का अवधारण करेगा और यदि उसका इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो वह बोर्ड को प्रश्न का निर्देश करेगा और बोर्ड लिखित आदेश द्वारा प्रश्न का अवधारण करेगा।

15 269ग. (1)—जहां सक्षम प्राधिकारी को उसके पास जो जानकारी है उसके आधार पर यह विश्वास का कारण है कि पच्चीस हजार रुपए से अधिक उचित बाजार मूल्य की कोई स्थावर सम्पत्ति किसी व्यक्ति द्वारा (जिसे इस अध्याय में इसके आगे अन्तरक कहा गया है) किसी अन्य व्यक्ति को (जिसे इस अध्याय में इसके आगे अन्तरिती कहा गया है) ऐसे प्रकट प्रतिफल के लिए जो उस सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम है और पक्षकारों के बीच करार किए गए ऐसे अन्तरणों के लिए प्रतिफल अन्तरण लिखित में सचाई से कथन नहीं किया गया है इस उद्देश्य से कि—

स्थावर सम्पत्ति जिसकी बाबत अर्जन की कार्यवाहियां की जा सकती हैं।

25 (क) अन्तरक की इस अधिनियम के अधीन उस अन्तरण से उद्भूत होने वाली आय की बाबत कर संदाय करने के दायित्व को कम करने को या उसके वचन को सुकर बनाया जाए; या

30 (ख) किसी आय या धन या अन्य आस्तियों के, जो प्रकट नहीं की गई हैं या जो भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 या इस अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 के प्रयोजनों के लिए प्रकट की जानी चाहिए थी, छिपाने को सुकर बनाया जाए;

1922 का 11
1957 का 27

35 वहां सक्षम प्राधिकारी इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अध्याय के अधीन ऐसे सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां प्रारम्भ कर सकता है:

परन्तु ऐसी कार्यवाहियां प्रारम्भ करने के पहले, सक्षम प्राधिकारी ऐसे करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा:

40 परन्तु यह और कि ऐसी कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जाएगी जब तक सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास का कारण नहीं है कि सम्पत्ति

का उचित बाजार मूल्य उसके प्रकट प्रतिफल से, ऐसे प्रकट प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है।

(2) इस अध्याय के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति की बाबत किसी कार्य-वाही में,—

(क) जहां ऐसी सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके प्रकट प्रतिफल से, ऐसे प्रकट प्रतिफल के पच्चीस प्रतिशत से अधिक है वहां, वह इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि पक्षकारों के बीच करार किए गए ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल का अन्तरण-लिखत में सत्य कथन नहीं किया गया है;

(ख) जहां सम्पत्ति का ऐसा प्रकट प्रतिफल के लिए अन्तरण किया गया है जो उसके उचित बाजार मूल्य से कम है वहां, जब तक इसके प्रतिकूल साबित न हो जाए यह उपधारणा की जाएगी कि पक्षकारों के बीच करार किए गए ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल का अन्तरण-लिखत में सत्य कथन उस उद्देश्य से नहीं किया गया है जो उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट है।

प्रारम्भिक सूचना।

269घ. (1) सक्षम प्राधिकारी इस अध्याय के अधीन, धारा 269ग में निर्दिष्ट किसी स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां उस प्रभाव की सूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करके प्रारम्भ करेगा:

परन्तु किसी स्थावर सम्पत्ति की बाबत ऐसी कोई कार्यवाही रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्तरण-लिखत का रजिस्ट्रीकरण जिस मास में हुआ है उसकी समाप्ति से छह मास की कालावधि के अवसान के पश्चात् प्रारम्भ नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि,—

(क) उस दशा में जहां उस सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिसने इस अध्याय के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां प्रारम्भ की हैं या बोर्ड द्वारा धारा 269ख की उपधारा (4) के अधीन यह अवधारित किया जाता है कि ऐसे सक्षम प्राधिकारी को ऐसी कार्यवाहियां प्रारम्भ करने की अधिकारिता नहीं है, वहां अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी ऐसी कार्यवाहियां,—

(i) पूर्वगामी परन्तुक में विनिर्दिष्ट छह मास की कालावधि में; या

(ii) ऐसे अवधारण की तारीख से तीस दिन की कालावधि के अन्दर,

इन कालावधियों में से जो भी बाद में समाप्त हो, प्रारम्भ कर सकता है;

5

(ख) उस दशा में जहां इस अध्याय के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य-वाहियाँ किसी कालावधि के दौरान किसी न्यायालय की ऐसी कार्यवाहियों के प्रारम्भ को प्रतिषिद्ध करने वाले या यह अवधारण के प्रयोजन के लिए कि क्या ऐसी कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की जानी चाहिए, परीक्षा के लिए अपेक्षित दस्तावेज या अन्य सामग्री की परीक्षा को रोकने वाले व्यादेश या आदेश के कारण प्रारम्भ नहीं की जा सकी थीं वहां, पूर्वगामी, परन्तुक में निर्दिष्ट छह मास की कालावधि की संगणना करने में व्यादेश या आदेश के चालू रहने का समय उसके जारी किए जाने या दिए जाने का दिन और उसके वापस लिए जाने का दिन गणना में नहीं लिया जाएगा।

10

15

(2) सक्षम प्राधिकारी—

20

(क) किसी स्थावर सम्पत्ति की बाबत उपधारा (1) के अधीन सूचना, अन्तरक, अन्तरिती पर, यदि अन्तरिती उस सम्पत्ति के अधिभोग में नहीं है तो उसके अधिभोग करने वाले व्यक्ति पर, और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर तामील कराएगा जिसे सक्षम प्राधिकारी जानता है कि वह सम्पत्ति से हितबद्ध है या जिसके हितबद्ध होने की सम्भाव्यता है;

25

(ख) ऐसी सूचना को—

30

(i) अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान पर उसकी प्रति लगवा कर प्रकाशित कराएगा;

(ii) उस परिक्षेत्र में जिसमें वह स्थावर सम्पत्ति स्थित है जिससे वह सम्बद्ध है सम्पत्ति के किसी सहज-दृश्य भाग पर उसकी प्रति लगवा कर और उक्त परिक्षेत्र में सुविधाजनक स्थानों पर ऐसी सूचना के सार से, ऐसी रीति में अवगत कराते हुए, जो विहित की जाए, प्रकाशित कराएगा।

35

269ड. (1) उस स्थावर सम्पत्ति के जिसकी बाबत धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में सूचना प्रकाशित की गई है, अर्जन के विनद्ध आक्षेप—

आक्षेप।

40

(क) अन्तरक या अन्तरिती या उस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की कालावधि के अन्दर या उक्त खण्ड के अधीन ऐसे व्यक्ति पर सूचना के तामील किए जाने की तारीख से तीस दिन की कालावधि के अन्दर, इनमें से जो भी पहले समाप्त हो, किए जा सकते हैं:—

(ख) ऐसी स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ऐसे प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन के अन्दर किए जा सकते हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में किया जायगा।

(3) शंकाओं के निराकरण के लिए, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) के अधीन यह आक्षेप कि धारा 269ग की उपधारा (2) के खण्ड (क) के उपबन्ध किसी स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं होते, इस आधार पर किया जा सकेगा कि ऐसी सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके प्रकट प्रतिफल से, ऐसे प्रकट प्रतिफल के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं है।

आक्षेपों की सुनवाई।

269च. (1) सक्षम प्राधिकारी इस अध्याय के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के विरुद्ध धारा 269ड के अधीन किए गए आक्षेपों की सुनवाई के लिए दिन और स्थान नियत करेगा, और उसकी सूचना ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देगा जिसने ऐसा आक्षेप किया है:

परन्तु ऐसी सूचना ऐसी सम्पत्ति के अन्तरिती को भी दी जाएगी चाहे उसने कोई आक्षेप न किया हो।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को, जिसको उपधारा (1) के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई पर * * * सुने जाने का अधिकार होगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी को समय-समय पर आक्षेपों की सुनवाई स्थगित करने का अधिकार होगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपों का निपटारा करने के पहले, ऐसी और जांच कर सकता है जो वह ठीक समझे।

(5) सक्षम प्राधिकारी का सुने गए आक्षेपों के बारे में विनिश्चय लिखित रूप में होगा और वह प्रत्येक आक्षेप की बाबत विनिश्चय के कारण देगा।

(6) यदि आक्षेपों को, यदि कोई हों, सुनने के पश्चात् और अभिलेख की सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) वह स्थावर सम्पत्ति जिससे कार्यवाहियां संबंधित हैं पच्चीस हजार रुपए से अधिक उचित बाजार मूल्य की हैं;

(ख) ऐसी सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके प्रकट प्रतिफल से, ऐसे प्रकट प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है; और

(ग) पक्षकारों के बीच करारित ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल का अन्तरण लिखित में सत्य कथन उस उद्देश्य से नहीं किया गया है जो धारा 269ग की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट है;

तो वह आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् इस अध्याय के अधीन सम्पत्ति के अर्जन के लिए आदेश दे सकता है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में किसी सक्षम प्राधिकारी के सम्बन्ध में “आयुक्त” से वह आयुक्त अभिप्रेत है जिसे बोर्ड इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(7) यदि उपधारा (6) में यथाउपबंधित सक्षम प्राधिकारी का समाधान नहीं होता है तो वह लिखित आदेश द्वारा यह घोषित करेगा कि इस अध्याय के अधीन सम्पत्ति का अर्जन नहीं किया जाएगा।

(8) सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, उपधारा (6) या उपधारा (7) के अधीन अपने आदेश की एक प्रति अन्तरक, अन्तरिती और ऐसे हर व्यक्ति पर तामील करेगा जिसने ऐसे अर्जन के विरुद्ध धारा 269ड के अधीन आक्षेप किए हैं।

(9) इस अध्याय के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति की बाबत कार्यवाहियों में इस आधार पर कोई आक्षेप ग्रहण नहीं किया जाएगा कि यद्यपि सम्पत्ति के लिए प्रकट प्रतिफल अन्तरण लिखत के निष्पादन की तारीख को सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम है तो भी, पक्षकारों के बीच करारित प्रतिफल का अन्तरण लिखत में सत्य कथन किया गया है क्योंकि ऐसा प्रतिफल, सम्पत्ति को विक्रय करने के करार के पूरे होने की तारीख को सम्पत्ति की उस कीमत को ध्यान में रखते हुए करार किया गया था जो ऐसे सम्पत्ति के खुले बाजार में विक्रय पर सामान्यतया प्राप्त होती उस दशा के सिवाय जहां ऐसा करार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन रजिस्टर किया गया है।

269छ. (1) धारा 269च के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के लिए आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण से अपील की जा सकती है,—

अर्जन के आदेश के विरुद्ध अपील।

(क) अन्तरक या अन्तरिती द्वारा या उस धारा की उपधारा (8) में निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ऐसे आदेश की तारीख से पैंतालीस दिन की कालावधि के अन्दर या आदेश की प्रति के उक्त उपधारा के अधीन ऐसे व्यक्ति पर तामील किए जाने की तारीख से तीस दिन की कालावधि के अन्दर, इनमें से जो भी कालावधि बाद में समाप्त हो;

(ख) ऐसी स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ऐसे आदेश की तारीख से पैंतालीस दिन के अन्दर :

परन्तु अपील अधिकरण, यथास्थिति, पैंतालीस दिन या तीस दिन की उक्त कालावधि के समाप्त होने के पहले इस निमित्त किए गए आवेदन पर, आदेश द्वारा, ऐसी विस्तारित कालावधि के अन्दर अपील प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुज्ञात कर सकता है जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए यदि आवेदन अपील अधिकरण का

यह समाधान कर देता है कि, यथास्थिति, पैंतालीस या तीस दिन की उक्त कालावधि के अन्दर अपील प्रस्तुत करने के समर्थ न होने के लिए पर्याप्त कारण था।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील विहित प्ररूप में होगी और विहित रीति में सत्यापित की जाएगी और उसके साथ एक सौ पच्चीस रुपए की फीस दी जाएगी।

(3) अपील अधिकरण अपील की सुनवाई के लिए दिन और समय नियत करेगा और अपीलकर्ता को और सक्षम प्राधिकारी को उसकी सूचना देगा।

(4) अपील अधिकरण, अपीलार्थी और समक्ष प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे।

(5) अपील अधिकरण, आदेश की तारीख से तीस दिन के अन्दर, अभिलेख से प्रकट होने वाली किसी भूल का सुधार करने की दृष्टि से, उपधारा (4) के अधीन अपने द्वारा पारित आदेश का संशोधन कर सकता है और यदि अपीलार्थी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूल उसकी जानकारी में लाई जाती है तो ऐसा संशोधन करेगा :

परन्तु यदि ऐसे संशोधन से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भाव्यता है तो, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना संशोधन नहीं किया जाएगा।

(6) अपील अधिकरण इस धारा के अधीन पारित आदेशों की एक प्रति अपीलार्थी और आयुक्त को भेजेगा।

(7) धारा 269ज में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाए, अपील पर अपील अधिकरण द्वारा पारित आदेश अन्तिम होंगे।

(8) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील यथासंभव शीघ्रता से निपटाई जाएगी और अपील प्रस्तुत किए जाने की तारीख से नब्बे दिन के अन्दर ऐसी अपील को निपटाने का प्रयास किया जाएगा।

(9) धारा 255 के उपबन्ध [उसकी उपधारा (3) को छोड़ कर] जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन अपील अधिकरण की शक्तियों, कृत्यों और कार्यवाहियों के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वह अध्याय 20 के अधीन अपील अधिकरण की शक्तियों, कृत्यों और कार्यवाहियों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

269ज. (1) आयुक्त या धारा 269छ के अधीन अपील अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से साठ दिन के अन्दर जिसको उस धारा के अधीन ऐसे आदेश की प्रति उसपर तामील की जाती है ऐसे आदेश के विरुद्ध विधिक प्रश्न पर न्यायालय से अपील कर सकता है :

परन्तु उच्च न्यायालय, साठ दिन की उक्त कालावधि की समाप्ति के पहले इस निमित्त किए गए आवेदन पर, आदेश द्वारा, ऐसी अतिरिक्त कालावधि के अन्दर अपील प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुज्ञात कर सकता

उच्च न्यायालय से
अपील।

है जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाय, याद आवेदक उच्च न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि साठ दिन की उक्त कालावधि के अन्दर अपील प्रस्तुत न कर सकने का पर्याप्त कारण था।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों से कम की न्यायपीठ द्वारा नहीं सुनी जाएगी और धारा 259 के उपबन्ध ऐसी अपील के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे धारा 256 के अधीन उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट मामले के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(3) अपील के खर्च उच्च न्यायालय के विवेकाधीन होंगे।

269ज(1) किसी स्थावर सम्पत्ति की बावत अर्जन का आदेश धारा 269च की उपधारा (6) के अधीन अन्तिम हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र सक्षम प्राधिकारी, लिखित सूचना द्वारा, ऐसे व्यक्ति को जिसका स्थावर सम्पत्ति पर कब्जा है यह आदेश दे सकता है कि वह सक्षम प्राधिकारी को या इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक्तः लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को सूचना की तारीख की तारीख से तीस दिन के अन्दर कब्जे का अभ्यर्पण या परिदान करे।

केन्द्रीय सरकार में सम्पत्ति का निहित होना।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए धारा 269च की उपधारा (6) के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति के अर्जन का आदेश (जिसे इस स्पष्टीकरण में इसके पश्चात् अर्जन का आदेश कहा गया है) अन्तिम हो जाएगा,—

(क) उस दशा में जहां अर्जन का आदेश धारा 269छ के अधीन अपील अधिकरण से अपील का विषय नहीं बनाया गया है, उस कालावधि की समाप्ति के दौरान उस धारा के अधीन अपील की जा सकती है ;

(ख) उस दशा में जहां अर्जन का आदेश धारा 269छ के अधीन अपील अधिकरण से अपील का विषय बनाया गया है,—

(i) यदि अर्जन के आदेश की अपील अधिकरण द्वारा पुष्टि की जाती है और अपील अधिकरण का आदेश धारा 269ज के अधीन उच्च न्यायालय से अपील का विषय नहीं बनाया जाता है तो, उस कालावधि की समाप्ति पर जिसके दौरान उस धारा के अधीन उच्च न्यायालय से अपील की जा सकती है,

(ii) यदि अपील अधिकरण का आदेश धारा 269ज के अधीन उच्च न्यायालय से अपील का विषय बन जाता है तो, उच्च न्यायालय द्वारा अर्जन के आदेश की पुष्टि पर।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दी गई सूचना का अनुपालन करने से इंकार करता है या करने में असफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी या उस उपधारा के अधीन सक्षम प्राधिकारी

द्वारा सम्यकतः प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति स्थावर सम्पत्ति का कब्जा ले सकता है और उस प्रयोजन के लिए उतना बल प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक हो ।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति का कब्जा लेने के प्रयोजन के लिए अपनी सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी की सेवाओं की अध्यक्षता कर सकता है और ऐसे पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अध्यक्षता का पालन करे ।

(4) जब उपधारा (1) के अधीन स्थावर सम्पत्ति के कब्जे का अभ्यर्पण या परिदान सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यकतः प्राधिकृत किसी व्यक्ति को किया जाता है या यथास्थिति जब उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा उसका कब्जा लिया जाता है तब सम्पत्ति सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यन्तिक रूप से निहित होगी :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात अन्तरिती या किसी अन्य व्यक्ति को (जो केन्द्रीय सरकार नहीं है) ऐसे विलंगम की बाबत दायित्व से उन्मोचित नहीं करेगी और किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा दायित्व नुकसानी के लिए वाद द्वारा अन्तरिती या ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध प्रवर्तित किया जा सकता है ।

प्रतिकर ।

269ञ (1) जहां कोई स्थावर सम्पत्ति इस अध्याय के अधीन अर्जित की जाती है वहां, केन्द्रीय सरकार ऐसे अर्जन के लिए प्रतिकर देगी जो उसके अन्तरण के प्रकट प्रतिफल की रकम और उक्त रकम के पन्द्रह प्रतिशत के योग के बराबर राशि होगी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, —

(क) जहां, उस उपधारा में निर्दिष्ट संपत्ति के अन्तरिती को अन्तरण के पश्चात् किन्तु संपत्ति के केन्द्रीय सरकार में निहित होने के पूर्व, संपत्ति का नुकसान हो जाता है (प्रसामान्य घिसाई के परिणामस्वरूप जो होता है उससे भिन्न) वहां, उस उपधारा के अधीन संदेय प्रतिकर से ऐसी रकम घटा दी जायगी जो सक्षम प्राधिकारी और प्रतिकर के लिए हकदार व्यक्ति केन्द्रीय सरकार में संपत्ति के निहित होने के पन्द्रह दिन के अन्दर करार करें या ऐसे करार के अभाव में जो न्यायालय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए सम्यकतः प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए निर्देश पर इस रूप में अवधारित करे कि वह रकम संपत्ति को उस दशा में वापस लाने के लिए जिसमें वह ऐसे अन्तरण के समय थी व्यय करनी पड़ेगी ;

(ख) जहां, अन्तरिती को ऐसी संपत्ति के अन्तरण के पश्चात् किन्तु धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन ऐसी संपत्ति की बाबत शासकीय राजपत्र में सूचना के प्रकाशन की तारीख

के पूर्व, उस सम्पत्ति में कोई अभिवृद्धि की गई है, चाहे वृद्धि के रूप में, परिवर्तन के रूप में या किसी अन्य रीति में, वहां, उपधारा (1) के अधीन ऐसी सम्पत्ति की बाबत संदेय प्रतिकर में ऐसी रकम बढ़ा दी जाएगी जो सक्षम प्राधिकारी और प्रतिकर के हकदार व्यक्ति केन्द्रीय सरकार में सम्पत्ति के निहित होने के पन्द्रह दिन के अन्दर करार करें या ऐसे करार के अभाव में, न्यायालय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए सम्यक्तः प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए निर्देश पर इस रूप में अवधारित करे कि यह रकम ऐसी अभिवृद्धि करने में खर्च की गई है।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन प्रत्येक निर्देश उस तारीख से तीस दिन के अन्दर किया जाएगा जिसको वह स्थावर संपत्ति जिसके बारे में वह है केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाती है या ऐसी अतिरिक्त कालावधि के अन्दर किया जाएगा जो न्यायालय उक्त कालावधि के अवसान के पूर्व इस निमित्त किये गये आवेदन पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा अनुज्ञात करने के लिए पर्याप्त कारण है अनुज्ञात करे और ऐसे निर्देश में स्थावर संपत्ति की बाबत उपधारा (1) के अधीन संदेय प्रतिकर और वह रकम जो, सक्षम प्राधिकारी के प्राक्कलन के अनुसार, यथास्थिति, उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिकर में से घटाई जानी है या खण्ड (ख) के अधीन बढ़ाई जानी है स्पष्टतः कथित होगी।

(4) इस अध्याय के अधीन अर्जित किसी स्थावर संपत्ति की बाबत उपधारा (1) के अधीन संदेय प्रतिकर उस रकम से जो प्रतिकर के रूप में संदेय होती यदि वह संपत्ति धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन संपत्ति की बाबत राजपत्र में सूचना के प्रकाशन की तारीख को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन प्रारंभिक सूचना जारी किए जाने के पश्चात् अर्जित की जाती तो संदेय होती, जितना कम है उस रकम के बारे में यह समझा जाएगा कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 269ग के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किए गए उद्देश्य के लिए अन्तरण के पक्षकार होने के कारण अन्तरिती से शास्ति के रूप में केन्द्रीय सरकार ने आपन कर ली है, और अन्तरिती से किसी निर्धारण वर्ष के लिए कोई शास्ति नहीं उद्ग्रहीत की जाएगी :—

(क) धारा 271 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के अधीन विशिष्टियां छिपाने के लिए या अपनी आय के उतने भाग की जो उसके द्वारा अन्तरिती को, संपत्ति के प्रतिफल के रूप में, संपत्ति के प्रकट प्रतिफल से जितनी अधिक है वह रकम, संदाय करने में उतनी रकम की गलत विशिष्टि देने के लिए जो उसने अन्तरिती को संदाय करने में उपयोग की है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसी रकम अन्तरिती की आय में सम्मिलित है ;

(ख) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के अधीन विशिष्टियों को छिपाने के लिए या अपनी आस्तियों के उतने भाग की, जो अन्तरिती द्वारा संपत्ति के प्रतिफल के रूप में, संपत्ति के प्रकट प्रतिफल से जितनी अधिक है, उतनी रकम की गलत विशिष्टियां देने के लिए, इस बात के होते हुए भी कि ऐसी आस्ति अन्तरिती के शुद्ध धन में सम्मिलित है। 1957 का 27 5

प्रतिकर का संदाय या निक्षेप।

269ट. (1) किसी स्थावर संपत्ति के अर्जन के लिए धारा 269ञ के उपबन्धों के अनुसार संदेय प्रतिकर की रकम उसके हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को धारा 269झ की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार में संपत्ति के निहित हो जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, निविदत्त की जाएगी : 10

परन्तु ऐसी दशा में जहां धारा 269ञ की उपधारा (2) के अधीन उस रकम के अवधारण के लिए जिससे उस धारा की उपधारा (1) के अधीन संदेय प्रतिकर घटाया या बढ़ाया जाएगा न्यायालय को निदेश किया गया है या किया जाना है वहां ऐसे निर्देश के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राक्कलित रकम से बढ़ाई या घटाई गई प्रतिकर की रकम यथापूर्वोक्त निविदत्त की जाएगी। 15

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिकर के हकदार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों में प्रतिकर के प्रभाजन के बारे में कोई विवाद उठता है तो केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन-निविदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित प्रतिकर न्यायालय में निक्षेप करेगी और मामले को न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगी और उस पर न्यायालय का विनिश्चय अन्तिम होगा। 20

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि प्रतिकर के हकदार व्यक्ति उसे प्राप्त करने के लिए सहमति नहीं देते हैं या उस स्थावर संपत्ति का अन्य-संक्रामण करने के लिए समक्ष कोई व्यक्ति नहीं है या प्रतिकर प्राप्त करने के लिए हक के सम्बन्ध में कोई विवाद है तो, केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन निविदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित प्रतिकर न्यायालय में निक्षेप करेगी और मामले को न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगी : 25 30

परन्तु इसमें की कोई बात ऐसे व्यक्ति के जो इस अध्याय के अधीन अर्जित किसी स्थावर संपत्ति के संपूर्ण प्रतिकर या, उसका कोई भाग प्राप्त करता है विधिपूर्ण रूप से उसके हकदार व्यक्ति को वह प्रतिकर संदाय करने के दायित्व का प्रभावित नहीं करेगी। 35

(4) यदि केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन संपूर्ण प्रतिकर या उसका कोई भाग जो उसके अधीन निविदत्त या निक्षेप किए जाने की अपेक्षा है, उस तारीख से, जिसको वह स्थावर संपत्ति जिसके बारे में प्रतिकर है, धारा 269झ की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाती है, तीस दिन के अन्दर निविदान या निक्षेप करने में असफल रहती है, तो केन्द्रीय 40

सरकार उक्त कालावधि के अवसान की तारीख के ठीक बाद के दिन से, यथास्थिति, ऐसे प्रतिकर या प्रतिकर का कोई भाग निविदान या निक्षेप करने की तारीख तक गणना करके बराह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण व्याज संदाय करने की दायी होगी।

- 5 (5) जहां प्रतिकर की कोई रकम (जिसमें उस पर व्याज, यदि कोई हो, सम्मिलित है) इस धारा के अधीन न्यायालय में निक्षेप किया गया है, वहां न्यायालय या तो स्वप्रेरणा से या ऐसी रकम से हितबद्ध या हितबद्ध होने का दावा करने वाले किसी पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से आवेदन करने पर, उसका ऐसी सरकारी या अन्य प्रतिभूति में जो वह ठीक समझे
- 10 विनिधान करने का आदेश दे सकती है और यह निदेश दे सकती है कि ऐसे विनिधानों का व्याज और अन्य आगम संचित किए जाएं और ऐसी रीति में संदत्त किए जाएं कि, उसकी राय में उससे हितबद्ध पक्षकारों को उससे वही फायदा हो जो उन्हें उस स्थावर संपत्ति से होता जिसकी बावत ऐसी रकम निक्षेप की गई है या उससे इतना निकट जितना हो सके।

15 269ठ. (1) सक्षम प्राधिकारी—

- (क) धारा 269ग के अधीन किसी स्थावर संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ प्रारम्भ करने के प्रयोजन के लिए या किसी स्थावर संपत्ति की बावत धारा 269च के अधीन आदेश देने के प्रयोजन के लिए, किसी मूल्यांकन अधिकारी से ऐसी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य अवधारण करने की और उसकी रिपोर्ट प्राधिकारी को देने की अपेक्षा कर सकता है;

- 20 (ख) किसी स्थावर संपत्ति की बावत धारा 269झ की उपधारा (1) के अधीन संदेय प्रतिकर से जो रकम घटाई जानी है, या, यथास्थिति, उस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (क) या
- 25 (ख) के अधीन बढ़ाई जानी है उसका प्राक्कलन करने के प्रयोजन के लिए मूल्यांकन अधिकारी से ऐसा प्राक्कलन करने की और उसकी रिपोर्ट प्राधिकारी को देने की अपेक्षा कर सकता है।

- 30 (2) उस मूल्यांकन अधिकारी को जिसको उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन निदेश किया गया है, ऐसे निदेश के बारे में कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए, वे समस्त शक्तियाँ होंगी जो उसकी धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 38क के अधीन हैं।

* * *

- 35 (3) यदि किसी स्थावर संपत्ति के अर्जन के लिए आदेश के विरुद्ध धारा 269छ के अधीन अपील में, ऐसी संपत्ति का उचित बाजार मूल्य विवादग्रस्त है तो, अपील अधिकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त अनुरोध किए जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट मूल्यांकन अधिकारी को सुने जाने का अवसर देगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, "मूल्यांकन अधिकारी" का वही अर्थ है जो धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 2 के खण्ड (द) में है।

मूल्यांकन अधि-
कारियों द्वारा
सहायता।

सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां ।

269ड. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी की वे समस्त शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धारा 131 के अधीन आयुक्त की हैं ।

भूल सुधार ।

“269ड. अभिलेख से प्रकट होने वाली किसी भूल के सुधार की दृष्टि से, सक्षम प्राधिकारी या तो प्रेरणा से या आदेश से प्रभावित किसी व्यक्ति द्वारा भूल उसकी जानकारी में लाए जाने पर इस अध्याय के अधीन उसके द्वारा किए गए किसी आदेश का ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील पेश किए जाने के समय की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय संशोधन कर सकता है :

परन्तु यदि ऐसे संशोधन से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भाव्यता है तो वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना संशोधन नहीं करेगा ।” ।

प्राधिकृत प्रतिनिधि या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा उपसंजाति ।

269ण. कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाही में सक्षम प्राधिकारी के या अपील अधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए हकदार है या अपेक्षित है, उस दशा के सिवाए जहां वह शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए अपेक्षित है,—

(क) किसी भी मामले के सम्बन्ध में किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हाजिर हो सकता है ;

(ख) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी स्थावर सम्पत्ति के मूल्यांकन से या उस रकम के प्राक्कलन से, जिससे धारा 269ञ की उपधारा (1) के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की रकम, यथास्थिति, उस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है, प्राक्कलन से सम्बन्धित किसी मामले के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा हाजिर हो सकता है ;

स्पष्टीकरण—इस धारा में, —

(i) “प्राधिकृत प्रतिनिधि” का वही अर्थ है जो धारा 288 में है ;

(ii) “रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक” का वही अर्थ है जो धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 2 के खण्ड (गकक) में हैं ।

स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण की बाबत विवरणों का दिया जाना ।

269त. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त कोई रजिस्ट्री करने वाला अधिकारी किसी दस्तावेज को जिससे किसी व्यक्ति की स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण होना तात्पर्यित है रजिस्टर नहीं करेगा जब तक कि ऐसे अन्तरण की बाबत विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित और ऐसी विशिष्टियां देते हुए जो विहित की जाएं, अन्तरण लिखित के साथ द्विप्रतीक विवरण उसको नहीं दिए जाते हैं ।

(2) रजिस्ट्री करने वाला अधिकारी प्रत्येक पक्ष के अन्त पर सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित अग्रेषित करेगा,—

(क) उस पक्ष के दौरान उपधारा (1) के अधीन उसको प्राप्त विवरणों का एक समुच्चय ; और

(ख) उपधारा (1) में निर्दिष्ट की गई प्रकृति की ऐसी दस्तावेजों की बाबत, जो उस पक्ष के दौरान उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत की गई हों, विहित रूप में और विहित रीति से सत्यापित एक विवरणी, जिसमें ऐसी विशिष्टियाँ दी जाएंगी, जो विहित की जाएं। * * *

269थ. इस अध्याय के उपबन्ध किसी व्यक्ति द्वारा अपने नातेदार को स्थावर सम्पत्ति के किसी अन्तरण के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी सम्पत्ति के अन्तरण की लिखत में इस प्रभाव का अभिव्यक्त कथन किया गया है कि अन्तरक ने अन्तरिती के प्रति नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण, सम्पत्ति का ऐसे प्रतिफल के लिए अन्तरण करने का करार किया गया है जो उचित बाजार मूल्य से कम है।

अध्याय का नाते-दारों को किए जाने वाले अन्तरणों का लागू न होना।

1894 का 1

269द. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में तत्समय प्रवृत्त किसी तत्समान विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 269ग में निर्दिष्ट कोई स्थावर संपत्ति उस अधिनियम या किसी तत्समान विधि के अधीन संघ प्रयोजन के लिए अर्जित नहीं की जाएगी तब तक कि इस अधिनियम के अधीन ऐसी सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियों के प्रारम्भ करने का समय ऐसी कार्यवाहियाँ प्रारम्भ हुए बिना समाप्त न हो जाए या जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ने यह घोषणा न कर दी हो कि ऐसी सम्पत्ति इस अध्याय के अधीन अर्जित नहीं की जाएगी।

इस अधिनियम के अधीन अर्जन के लिए दायी संपत्तियों का अन्य विधि के अधीन अर्जन नहीं किया जाना।

269ध. इस अध्याय के उपबन्धों का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य पर नहीं होगा।”

अध्याय का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य पर न होना। नई धारा 281क का अन्तःस्थापन।

5. आय-कर अधिनियम में धारा 281 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“281क. (1) बेनामी धारित किसी संपत्ति के बाबत किसी अधिकार के प्रवर्तन के लिए कोई वाद, चाहे उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके नाम वह संपत्ति धारित है या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से (जिसे इस धारा में इसके आगे दावेदार कहा गया है) जो ऐसी संपत्ति का वास्तविक स्वामी होने का दावा करता है किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक कि —

बेनामी धारित संपत्तियों के संबंध में जानकारी का न देने का प्रभाव।

(क) ऐसी सम्पत्ति से आय, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन दावेदार द्वारा की गई आय विवरणी में प्रकट नहीं की गई है; या

(ख) ऐसी संपत्ति धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन दावेदार द्वारा की गई शुद्ध धन की विवरणी में प्रकट नहीं गई है; या

(ग) दावेदार द्वारा आय कर- अधिकारी को ऐसी संपत्ति की बाबत विहित विशिष्टियाँ देते हुए विहित प्ररूप में सूचना नहीं दी गई है।

1957 का 27 35

(2) आय-कर अधिकारी, विहित रीति में और विहित फीस का संदाय करने पर किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट वाद के प्रयोजन के लिये इस अधिनियम के या धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई विवरणी के सुसंगत उद्धरण या उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना की प्रमाणित प्रति उसके लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन के अन्दर जारी करेगा। 1957 का 27
5

(3) यह धारा दो हजार रुपये से अनधिक मूल्य के किसी वाद को लागू नहीं होगी जिसका विचारण,— 9

(क) प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय, 1882 या प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 के अधीन गठित लघुवाद न्यायालय द्वारा किया जाता है; या 1882 का 15
1887 का 9

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिती द्वारा या उसके अधीन ऐसी अधिकारिता के प्रयोग में लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता से विनिहित न्यायालय द्वारा किया जाता है।”। 15

नई धारा 287क का अन्तःस्थापन।

6. आय-कर अधिनियम में धारा 287 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कुछ मामलों में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा उपसंजाति।

“287क. कोई निर्धारिती जो किसी आय-कर प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष किसी आस्ति के मूल्यांकन से सम्बद्ध किसी मामले के सम्बन्ध में उपस्थित होने के लिए हकदार या अपेक्षित है, उस दशा के सिवाए जहां वह धारा 131 के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए अपेक्षित है, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा उपस्थित हो सकता है। 20

स्पष्टीकरण—इस धारा में, “रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक” का वही अर्थ है जो धन-कर अधिनियम 1957 की धारा 2 के खण्ड (णकक) में है।” 24
1957 का 27

अध्याय 3

धन-कर अधिनियम, 1957 में संशोधन]

धारा 2 का संशोधन।

7. धन-कर अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके आगे धन-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में 1957 का 27
30

(क) खंड (णक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(णकक) “रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक” से धारा 34 क ख में मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अभिप्रेत है ;”

(ख) खण्ड (द) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 35

“(द) “मूल्यांकन अधिकारी” से धारा 12क के अधीन मूल्यांकन अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और

इसके अन्तर्गत क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी, जिला मूल्यांकन अधिकारी और सहायक मूल्यांकन अधिकारी है; ।

- 5 8. धन-कर अधिनियम की धारा 7 में उपधारा (2) के पश्चात्, निम्न लिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 7 का संशोधन ।
- 10 “(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां धन-कर अधिकारी द्वारा धारा 16क के अधीन मूल्यांकन अधिकारी को किसी आस्ति का मूल्यांकन निर्दिष्ट किया जाता है वहां, ऐसी अस्ति का मूल्य वह कीमत प्राक्कलित की जाएगी जो, मूल्यांकन अधिकारी की राय में, यदि मूल्यांकन की तारीख को वह खुले बाजार में विक्रय की जाती तो प्राप्त होती ।” ।
- 15 9. धन-कर अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 12क का अन्तःस्थापन ।
- 20 “12क. (1) केन्द्रीय सरकार उतने मूल्यांकन अधिकारी नियुक्त कर सकती है जितने वह ठीक समझ । मूल्यांकन अधिकारियों की नियुक्ति ।
- (2) लोक सेवाओं और पदों में व्यक्तियों की सेवाओं की शर्तों को विनियमित करने वाले केन्द्रीय सरकार के नियमों और आदेशों के अधीन धन-कर प्राधिकारी उतने ओवरसीयर, सर्वेक्षक और असेसर नियुक्त कर सकता है जितने मूल्यांकन अधिकारी को उसके कृत्यों को करने में सहायता करने के लिए आवश्यक हो ।”
- 25 10. धन-कर अधिनियम की धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 16क का अन्तःस्थापन ।
- 30 “16क. (1) इस अधिनियम के अधीन निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए (जिसमें इस धारा के प्रवर्तन में आने से पूर्व की तारीख से प्रारम्भ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष की बाबत निर्धारण सम्मिलित है) धन-कर अधिकारी * * * मूल्यांकन अधिकारी को किसी आस्ति के मूल्यांकन के लिए निर्देश—
- (क) उस दशा में कर सकता है जहां, आस्ति का विवरणी में दिया गया मूल्य रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए प्राक्कलन के अनुसार है, यदि धन-कर अधिकारी की यह राय है कि इस प्रकार विवरणी में दिया गया मूल्य उचित बाजार मूल्य से कम है ;
- (ख) किसी अन्य दशा में कर सकता है, यदि धन-कर अधिकारी की यह राय है,—
- 35 (i) कि आस्ति का उचित बाजारमूल्य, आस्ति के विवरणी में दिए गए मूल्य से, आस्ति के विवरणी में दिए गए मूल्य के इतने प्रतिशत से या इतनी रकम से अधिक है जो इस निमित्त विहित की जाए, या
- (ii) आस्ति की प्रकृति और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को
- 40 ध्यान में रखते हुए, ऐसा करना आवश्यक है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्देश के अनुसरण में किसी आस्ति का मूल्य प्राक्कलन करने के प्रयोजन के लिए मूल्यांकन अधिकारी सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को ऐसे लेखे, अभिलेख या अन्य दस्तावेज जिनको मूल्यांकन अधिकारी को आवश्यकता हो तो पेश करने या पेश कराने की अपेक्षा करते हुए निर्धारिती पर सूचना तामिल कर सकता है। 5

(3) जहां मूल्यांकन अधिकारी की यह राय है कि धारा 14 या धारा 15 के अधीन निर्धारिती द्वारा दी गई विवरणी में किसी आस्ति का मूल्य सही घोषित किया गया है वहां, वह उस प्रभाव का आदेश लिखित रूप में पारित करेगा और धन-कर अधिकारी को और निर्धारिती को अपने आदेश की एक प्रति भेजेगा। 10

(4) जहां मूल्यांकन अधिकारी की यह राय है कि धारा 14 या धारा 15 के अधीन निर्धारिती द्वारा दिए गए विवरण में घोषित मूल्य से आस्ति का मूल्य अधिक है या जहां आस्ति प्रकट नहीं की जाती है या आस्ति का मूल्य ऐसी विवरणी में घोषित नहीं किया जाता है या जहां कोई विवरणी नहीं दी जाती है वहां मूल्यांकन अधिकारी निर्धारिती को वह मूल्य सूचित करते हुए जो प्राक्कलित करने की वह प्रस्थापना करता है, और सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को निर्धारिती को या तो मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या लिखित रूप से आक्षेपों का कथन करने और ऐसा साक्ष्य पेश करने का अवसर देते हुए जिस पर निर्धारिती अपने आक्षेपों के समर्थन में निर्भर करता है सूचना तामिल करेगा। 15 20

(5) उपधारा (4) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, ऐसा साक्ष्य सुनने के पश्चात् जो निर्धारिती पेश करे और ऐसे साक्ष्य पर जो मूल्यांकन अधिकारी किन्हीं विनिर्दिष्ट बातों पर अपेक्षा करे विचार करने के पश्चात् और सभी सुसंगत बातों को जिनका उसने संचय किया है ध्यान में रखने के पश्चात्, मूल्यांकन अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, आस्ति का मूल्य प्राक्कलित करेगा, और अपने आदेश की एक प्रति धन-कर अधिकारी और निर्धारिती को भेजेगा। 25 30

(6) मूल्यांकन अधिकारी से उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन आदेश की प्राप्ति पर धन-कर अधिकारी जहां तक प्रश्नगत आस्ति के मूल्यांकन का प्रश्न है मूल्यांकन अधिकारी के प्राक्कलन के अनुरूप निर्धारण पूरा करने की कार्यवाही करेगा।” 1” । 30

धारा 23 का संशोधन ।

11. धन-कर अधिनियम की धारा, 23 में,—

(क) उपधारा (1) में— 35

(i) खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त-स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(जक) जो धारा 35 के अधीन मूल्यांकन अधिकारी के किसी आदेश पर आपत्ति करता है जिसका परिणाम किसी आस्ति के मूल्यांकन में वृद्धि करना 40

या उक्त धारा के अधीन निर्धारित द्वारा किए गए दावे को मंजूर करने से इंकार करना है, या; ”;

5

(ii) खण्ड (झ) में, “धन-कर अधिकारी” शब्दों के स्थान पर “धन-कर अधिकारी या मूल्यांकन अधिकारी” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

10

“(3क) यदि उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अपील में किसी आस्ति के मूल्यांकन पर आक्षेप किया जाता है तो सहायक आयुक्त (अपील),—

(क) उस दशा में जहां ऐसा मूल्यांकन धारा 16क के अधीन मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किया गया है, ऐसे मूल्यांकन अधिकारी को सुने जाने का अवसर देगा ;

15

(ख) किसी अन्य दशा में, धन-कर अधिकारी द्वारा इस निमित्त अनुरोध किये जाने पर, धन-कर अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी मूल्यांकन अधिकारी को सुने जाने का अवसर देगा ।”;

20

(ग) उपधारा (4) के खण्ड (ख) में, “धन-कर अधिकारी” शब्दों के स्थान पर, “यथास्थिति, धन-कर अधिकारी या मूल्यांकन अधिकारी” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

12. धन-कर अधिनियम की धारा 24 में—

धारा 24 का संशोधन ।

(क) उपधारा (5) में, “परन्तु” शब्द के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

25

“परन्तु यदि किसी आस्ति के मूल्यांकन पर आक्षेप किया जाता है, तो अपील अधिकरण,—

(क) उस दशा में जहां ऐसा मूल्यांकन धारा 16क के अधीन किसी मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किया गया है, वहां ऐसे मूल्यांकन अधिकारी को भी सुनवाई का अवसर देगा ;

30

(ख) किसी अन्य दशा में, धन-कर अधिकारी द्वारा इस निमित्त अनुरोध किए जाने पर, धन-कर अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी मूल्यांकन अधिकारी को भी सुनवाई का अवसर देगा ;

परन्तु यह और कि” ;

35

(ख) उपधारा (6), (7), (8), (8क) और (8ख) का लोप कर दिया जाएगा ।

धारा 26 का संशोधन ।

13. धन-कर अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (3) में "उपधारा (3) और (5) से (10) तक के, जिसके अन्तर्गत ये दोनों भी हैं" शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर "उपधारा (3), (5), (9) और (10) के", शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

नए अध्याय 7ख का अन्तःस्थापन ।

14. धन-कर अधिनियम में अध्याय 7क के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- 5

अध्याय 7ख

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों द्वारा उपसंजाति ।

34कक. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कोई निर्धारिती, जो किसी धन-कर प्राधिकारी के या अपील अधिकरण के समक्ष किसी आस्ति के मूल्यांकन से सम्बद्ध किसी मामले के सम्बन्ध में हाजिर होने के लिए हकदार या अपेक्षित है, उस दशा के सिवाए जहां इस अधिनियम के अधीन वह व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए अपेक्षित है रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन द्वारा हाजिर हो सकता है । 10

मूल्यांककों का रजिस्ट्रीकरण ।

34कख. (1) बोर्ड मूल्यांककों का रजिस्टर नामक एक रजिस्टर रखेगा जिसमें मूल्यांककों के रूप में उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के नाम और पते होंगे । 15

(2) कोई व्यक्ति जिसकी इस निमित्त विहित अर्हताएं हैं, इस धारा के अधीन मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए विहित प्ररूप में बोर्ड को आवेदन कर सकेगी : 20

परन्तु आस्ति के भिन्न-भिन्न वर्गों के मूल्यांककों के लिए भिन्न-भिन्न अर्हताएं विहित की जा सकेंगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन विहित रीति में सत्यापित किया जाएगा, और इसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए और उसमें इस प्रभाव की घोषणा होगी कि आवेदन, — 25

(i) किसी आस्ति का जिसका मूल्यांकन करने की उससे अपेक्षा की जाए निष्पक्ष और सच्चा मूल्यांकन करेगा ;

(ii) विहित प्ररूप में ऐसे मूल्यांकन की रिपोर्ट देगा ;

(iii) इस निमित्त विहित दर या दरों से अनधिक दर से फीस लेगा ; 30

(iv) किसी ऐसे आस्ति का मूल्यांकन नहीं करेगा जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित है ।

(4) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किसी आस्ति के मूल्यांकन की रिपोर्ट विहित प्ररूप में होगी और विहित रीति में सत्यापित की जाएगी ।

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में व्यवसाय करने पर निर्बन्धन ।

34कग. (1) कोई व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ भागीदारी में, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा, या इस रूप में अपना 35

वर्णन या व्यपदेशन नहीं करेगा या अपने को इस प्रकार वर्णित या व्यपदिष्ट किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा जब तक कि वह, ऐसे मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं है या वह और उसके सभी भागीदार इस अध्याय के अधीन इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं।

- 5 (2) कोई कम्पनी या अन्य निगमित निकाय इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में व्यवसाय नहीं करेंगे, या इस रूप में अपना वर्णन या व्यवदेशन नहीं करेगा या अपने को इस प्रकार वर्णित या व्यपदिष्ट किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं करेंगे।

मूल्यांककों के नामों का रजिस्टर से हटाया जाना और उनका प्रत्या-वर्तन।

- 10 34कघ. (1) बोर्ड किसी भी व्यक्ति का नाम मूल्यांककों के रजिस्टर से हटा सकता है, जहां उसका, उस व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जो वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि,—

- 15 (i) उसका नाम रजिस्टर में गलती से या किसी मिथ्या व्यपदेशन के कारण या किसी तात्विक तथ्य के दबाने के कारण प्रविष्ट किया गया है ;
- (ii) वह किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास की अवधि के लिए दण्डित किया गया है या उसकी व्यवसायिक हैसियत से अवचार का दोषी हुआ है जो, बोर्ड की राय में, उसे रजिस्टर में रखने ले लिए अयोग्य बनाती है।

- 20 (2) बोर्ड आवेदन किए जाने पर और पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर किसी व्यक्ति का नाम जो रजिस्टर से हटाया गया था रजिस्टर में प्रत्यावर्तित कर सकता है।”

15. धन-कर अधिनियम की धारा 35में,—

धारा 35 का संशोधन।

- 25 (क) उपधारा (1) में खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(कक) मूल्यांकन अधिकारी धारा 16क के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश का संशोधन कर सकता है;”

- 30 (ख) उपधारा (3) में खण्ड (ख) में, “सहायक आयुक्त (अपील)” के स्थान पर “मूल्यांकन अधिकारी या सहायक आयुक्त (अपील)” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

- (ग) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

- 35 “(6क) जहां उपधारा (1) के खण्ड (कक) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए गए किसी संशोधन का प्रभाव किसी आस्ति के मूल्यांकन में वृद्धि होता है वहां, वह अपने आदेश की एक प्रति धन-कर अधिकारी को देगा जो पश्चात् मूल्यांकन अधिकारी के आदेश के अनुरूप निर्धारण आदेश में संशोधन 10 की कार्यवाही करेगा और उपधारा (6) के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे।”।

(घ) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

“(7क) उपधारा (7) में किसी बात के होते हुये भी जहां किसी आस्ति के मूल्यांकन में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन वृद्धि की गई है वहां, धन-कार अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश में पारिणामिक संशोधन इस धारा के अधीन मूल्यांकन अधिकारी के आदेश की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय समाप्त किया जा सकेगा।”।

धारा 36 का संशोधन।

16. धन-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (2क) में निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

“(2ख) यदि कोई व्यक्ति धारा 34कखमें उपवर्णित सत्यापन में कोई ऐसा कथन करता है जो मिथ्या है और जो या तो वह जानता है या विश्वास करता है कि मिथ्या है या जो वह विश्वास नहीं करता है कि सच है तो वह कारावास से जिसकी अवधि यह छह मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।”।

धारा 37 का संशोधन।

17. धन-कर अधिनियम की धारा 37 में,—

(क) उपधारा (1) में “धन-कर अधिकारी” शब्दों के स्थान पर, “धन-कर अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी” शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (3) के परन्तुक में “कोई धन-कर अधिकारी” शब्दों के स्थान पर, “कोई धन-कर अधिकारी या कोई मूल्यांकन अधिकारी” शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

नई धारा 38क का अन्तःस्थापन।

18. धन-कर अधिनियम की धारा 38 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

मूल्यांकन अधिकारी की शक्तियां।

“38क. (1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये मूल्यांकन अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई ओवरसियर, सर्वेक्षक या असेसर, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी किन्तु इस निमित्त बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये और ऐसे युक्ति युक्त समय जो विहित किये जायें:—

(क) मूल्यांकन अधिकारी को सौंपे गये क्षेत्र की सौमा के अन्दर किसी भूमि, भवन या अन्य स्थान पर प्रवेश कर सकेगा, या

(ख) जिस व्यक्ति के निर्धारण के सम्बन्ध में धारा 16क के अधीन मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश किया गया है उसके अभियोग या स्वामित्व की किसी भूमि, भवन या अन्य स्थान पर प्रवेश कर सकेगा, या

(ग) किसी आस्ति का जिसकी बाबत धारा 16क के अधीन मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश किया गया है निरीक्षण कर सकेगा, और ऐसी भूमि, भवन या अन्य स्थान या आस्ति के भारसाधक या उसका अभियोग या कब्जा रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसको

ऐसी भूमि, भवन या अन्य स्थान या आस्ति का सर्वेक्षण या निरीक्षण करने के लिये या उसका मूल्य प्राक्कलित करने के लिये या किन्हीं लेखा-बहियों, दस्तावेज या अभिलेख का जो ऐसी भूमि, भवन या अन्य स्थान या आस्ति के मूल्यांकन के लिये सुसंगत हों निरीक्षण करने के लिये और

5 ऐसी भूमि, भवन या अन्य स्थान या आस्ति से संबंधित अन्य विशिष्टियां एकत्र करने के लिये आवश्यक सुविधायें प्रदान करे :

परन्तु कोई मूल्यांकन अधिकारी, ओवरसियर, सर्वेक्षक या असेसर ऐसे व्यक्ति को अपने ऐसा करने के आशय की लिखित रूप में कम से कम दो दिन की सूचना दिये बिना खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी भवन या

10 स्थान पर प्रवेश नहीं करेगा या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी आस्ति का निरीक्षण नहीं करेगा (उस दशा के सिवाय जहां ऐसे भवन, स्थान या आस्ति के भारसाधक, या अधिभोगी या कब्जा रखने वाले व्यक्ति ने सहमति दे दी है) ।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिससे, उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी या ओवरसियर, सर्वेक्षक या असेसर को सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है या तो ऐसी सुविधायें देने से इंकार करता है या अपवंचन करता है तो मूल्यांकन अधिकारी को की गई अपेक्षाओं से अनुपालन कराने के लिये धारा 37 की उपधारा (1) और (2) के अधीन सभी शक्तियां होंगी ।”

15

20 19. धन कर अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

धारा 46 का संशोधन ।

“(ङ) वे क्षेत्र जिनके अन्दर मूल्यांकन अधिकारी अधिकारिता का प्रयोग कर सकेंगे;

25 (ङङ) वह रीति जिसमें और वे शर्तें जिनके अधीन मूल्यांकन अधिकारी, ओवरसियर, सर्वेक्षक और असेसर धारा 38क की उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे ; ।”

अध्याय 4

दान-कर अधिनियम, 1958 का संशोधन

1958 का 18 20. दान-कर अधिनियम, 1958 की (जिसे इसमें इसके आगे दान-कर अधिनियम कहा गया है), धारा 2 के खण्ड (XXV) का लोप कर दिया जायेगा ।

30

धारा 2 का संशोधन ।

21. दान-कर अधिनियम की धारा 15 में उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

धारा 15 का संशोधन ।

35 “(6) धारा 6 में किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन निर्धारण करने के प्रयोजन के लिये, दान-कर अधिकारी मूल्यांकन अधिकारी को दान के रूप में अन्तरित किसी सम्पत्ति के मूल्यांकन के लिये निर्देश—

- (क) उस दशा में कर सकता है जहां सम्पत्ति का विवरणी में दिया गया मूल्य रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किये गये प्राक्कलन के अनुसार है, यदि दान-कर अधिकारी की यह राय है कि इस प्रकार विवरणी में दिया गया मूल्य उसके उचित बाजार मूल्य से कम है ; 5
- (ख) किसी अन्य दशा में कर सकता है, यदि दान-कर अधिकारी की यह राय है—
- (i) कि सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, सम्पत्ति के विवरणी में दिये गये मूल्य से, सम्पत्ति के विवरणी में दिये गये मूल्य के इतने प्रतिशत से या इतनी रकम से अधिक है, जो इस निमित्त विहित की जाये ; या 10
- (ii) सम्पत्ति की प्रकृति और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये, ऐसा करना आवश्यक है ;
- और जहां ऐसा कोई निर्देश किया जाता है, वहां, धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 16क की उपधारा (2), (3), (4), (5) और (6), धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (जक) और (झ) और उपधारा (3क) और (4), धारा 24 की उपधारा (5), धारा 34कक, धारा 35 और धारा 37, आवश्यक उपान्तरों सहित ऐसे निर्देश के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगी, जैसे वे उस अधिनियम की धारा 16क की उपधारा (1) के अधीन धन-कर अधिकारी द्वारा किये गये निर्देश की दशा में लागू होती हैं। 1957 का 27 15 20
- स्पष्टीकरण**—इस उपधारा में, “मूल्यांकन अधिकारी” का वही अर्थ है जो धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 2 के खण्ड (द) में है। 1957 का 27
- धारा 23 का संशोधन। 22. दान-कर अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (6), (7) और (8) का लोप कर दिया जायेगा।
- धारा 25 का संशोधन। 23. दान-कर अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (3) में, “उपधारा (3) और (5) से (10) तक के, जिसके अन्तर्गत ये दोनों भी हैं” शब्दों, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर “उपधारा (3), (5), (9) और (10) के” शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे। 25
- नई धारा 43क का अन्तःस्थापन। 24. दान-कर अधिनियम में, धारा 43 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :— 1957 का 27 30
- कुछ मामलों में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा उपसंजाति। “43क. कोई निर्धारित जो किसी दान-कर प्राधिकारी के या अपील अधिकरण के समक्ष किसी आस्ति के मूल्यांकन से सम्बद्ध किसी मामले के सम्बन्ध में हाजिर होने के लिए हकदार या अपेक्षित है, उस दशा के सिवाये जहां वह इस अधिनियम के अधीन व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिये अपेक्षित है, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा हाजिर हो सकता।
- स्पष्टीकरण** :—इस धारा में, “रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक” का वही अर्थ है जो धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 2 के खण्ड (णकक) में है।” 35

अध्याय 5

प्रकीर्ण

- 1961 का 43 25. (1) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 254 की उपधारा (1क) का, इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा लोप किये जाने पर भी ऐसे लोप के पहले उस उपधारा के अधीन निर्देश करने के लिये किसी अपीलार्थी द्वारा की गई प्रत्येक अध्यपेक्षा और उस उपधारा के अधीन किये गये प्रत्येक निर्देश का इस प्रकार निपटारा किया जायेगा मानो उक्त उपधारा का लोप नहीं किया गया है, और, यथापूर्वोक्त के सिवाय, ऐसे लोप के पश्चात् ऐसा कोई निर्देश नहीं किया जायेगा। व्यावृत्ति और विशेष उपबंध।
- 1957 का 27 (2) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 24 की उपधारा (6), (7), 10 (8), (8क) और (8ख) का, इस अधिनियम की धारा 12 के खण्ड (ख) द्वारा लोप किये जाने पर भी, ऐसे लोप के पहले उक्त उपधारा (6) के अधीन निर्देश करने के लिये किसी अपीलार्थी द्वारा की गई प्रत्येक अध्यपेक्षा और उस उपधारा के अधीन किये गये प्रत्येक निर्देश का इस प्रकार निपटारा किया जायेगा मानो उक्त उपधाराओं का लोप नहीं किया गया है, और, यथापूर्वोक्त के सिवाय, ऐसे लोप के पश्चात् कोई निर्देश नहीं किया जायेगा।
- 1958 का 18 (3) दान-कर अधिनियम, 1958 की धारा 23 की उपधारा (6), (7), और (8), का, इस अधिनियम की धारा 22 के द्वारा लोप किये जाने पर भी, ऐसे लोप के पहले उक्त उपधारा (6) के अधीन किसी निर्देश के लिये किसी अपीलार्थी द्वारा की गई प्रत्येक अध्यपेक्षा और उक्त उपधारा के अधीन किये गये प्रत्येक निर्देश का निपटारा इस प्रकार किया जायेगा मानो उक्त उपधाराओं का लोप नहीं किया गया है, और, यथापूर्वोक्त के सिवाय, ऐसे लोप के पश्चात् कोई निर्देश नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट एक

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 2)

विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिये लोक-सभा में प्रस्ताव

“कि आय कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957 तथा दान-कर अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को 30 सदस्यों की अर्थात्:--

- (1) श्री भागवत झा आज़ाद
- (2) श्री छोटे लाल
- (3) श्रीमती सहोदराबाई राय
- (4) चौधरी दलीप सिंह
- (5) श्री आनन्दी चरण दास
- (6) श्री पीलू मोदी
- (7) श्री के० आर० गणेश
- (8) श्री एच० आर० गोखले
- (9) श्रीमती बी० जयलक्ष्मी
- (10) श्री चिरंजीव झा
- (11) श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
- (12) श्री दिनेश जोरदर
- (13) श्री ए० केवीचुसा
- (14) श्री के० मालना
- (15) श्री नागेश्वर राव मेदुरी
- (16) श्री के० बालतण्डायुतम
- (17) श्री तारकेश्वर पाण्डेय
- (18) श्री सतेन्द्र एन० सिन्हा
- (19) चौधरी रामसेवक
- (20) श्री राम सूरत प्रसाद
- (21) श्री वीरेन्द्र सिंह राव
- (22) श्री पी० नरसिंहा रेड्डी
- (23) श्री मुल्की राज सैनी
- (24) श्री एम० के० पी० साल्वे
- (25) श्री एस० सी० सामन्त
- (26) श्री ईरा सेझियान
- (27) श्री शिवपूजन शास्त्री
- (28) श्री टी० सोहन लाल
- (29) श्री वी० तुलसी राम; और
- (30) श्री यशवन्तराव चव्हाण

एक प्रवर समिति को, दिसम्बर, 1971 के पन्द्रहवें दिन तक प्रतिवेदन देने की हिदायतों के साथ, सौंपा जाये।”

परिशिष्ट दो

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा. 5)

उन संस्थाओं/व्यक्तियों आदि की सूची जिनसे प्रवर समिति को ज्ञापन/
अभ्यावेदन/टिप्पण प्राप्त हुए थे

1. दि इण्डियन मरचैण्ट्स चैम्बर, बम्बई।
2. श्री एस० आर० मित्तल, एस० आर० मित्तल एण्ड कम्पनी, चारटर्ड एकाउण्टेण्ट्स, लुधियाना।
3. दि इण्टीट्यूट आफ चारटर्ड एकाउण्टेण्ट्स आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
4. श्री रोशन एच० नामावली, चारटर्ड इंजीनियर, बम्बई।
5. भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ, नई दिल्ली।
6. पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाणिज्य तथा उद्योग मंडल, नई दिल्ली।
7. आल इण्डिया टैक्स एडवोकेट्स एसोसियेशन, नई दिल्ली।
8. श्री ओ० वी० कुरुविला, आयकर आयुक्त, बम्बई।
9. दि गुजरात इंस्टीट्यूट आफ सिविल इंजीनियरस एण्ड आरकीटेक्ट्स अहमदाबाद।
10. श्री परमेश्वर दास जैन, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, दिल्ली।
11. इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स (भारत), इंस्टीट्यूट आफ वैल्यूअर्स, तथा इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ आरकीटेक्ट्स, प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स, आरकीटेक्ट्स एण्ड टाउन प्लानर्स एसोसियेशन, बम्बई।
12. दि एसोसियेटेड चैम्बर्स आफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री आफ इंडिया, कलकत्ता।
13. दक्षिणी गुजरात वाणिज्य तथा उद्योग मंडल, सूरत।
14. श्री एन० ए० पालकीवाला, अधिवक्ता, बम्बई।
15. भारतीय वाणिज्य मंडल, कलकत्ता।

परिशिष्ट तीन

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 6)

संघों/व्यक्तियों आदि की सूची जिन्होंने प्रवर समिति के समक्ष
साक्ष्य दिया

क्रम संख्या	संघों/व्यक्तियों के नाम	जिस तारीख को साक्ष्य दिया
1.	श्री टी० वी० विष्णुनाथ अय्यर, अधिवक्ता, मद्रास	7-12-1971
2.	श्री ओ० वी० कुरुविला, आयकर आयुक्त, बम्बई	7-12-1971 और 8-12-1971
3.	आल इण्डिया टैक्स एडवोकेट्स, एसोसियेशन, नई दिल्ली।	8-12-1971
प्रवक्ता		
4.	श्री जी० सी० शरमन, वाइस प्रेजिडेंट, इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली।	8-12-1971
प्रवक्ता		
	(1) श्री ए० बी० टण्डन, प्रेजिडेंट	
	(2) श्री आर० के० खन्ना, वाइस-प्रेसिडेंट	
	(3) श्री एन० सी० कृष्णन, सभापति, कराधान समिति	
	(4) श्री सी० बालकृष्णन, सचिव	
5.	श्री एन० ए० पालकीवाला, सीनियर एडवोकेट, बम्बई	20-12-1971
6.	भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ, नई दिल्ली	21-12-1971
प्रवक्ता		
	(1) श्री ए० के० जैन, चेयरमैन	
	(2) श्री जी० एल० बंसल, महासचिव	
	(3) श्री ओ० पी० वैश, प्रमुख कराधान विभाग	
7.	श्री एम० सी० सीतलवाद, संसद सदस्य	22-12-1971

परिशिष्ट चार

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1971 सम्बन्धी प्रवर समिति की बैठकों का
कार्यवाही सारांश

एक

पहली बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 23 नवम्बर, 1971 को 15.30 बजे से
16.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री भागवत झा आजाद—सभापति

सदस्य

2. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
3. श्री के० आर० गणेश
4. श्री एच० आर० गोखले
5. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
6. श्री नागेश्वर राव मेदुरी
7. श्री पीलू मोदी
8. श्रीमती सहोदराबाई राय
9. चौधरी राम सेवक
10. श्री वीरेन्द्र सिंह राव
11. श्री मुल्की राज सैनी
12. श्री एस० सी० सामन्त
13. श्री इरा सेझियान
14. श्री टी० सोहन लाल

विधायी परामर्शदाता

1. श्री के० के० सुन्दरम, संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता
2. श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री, अपर विधायी परामर्शदाता

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० डी० शाह, चेयरमैन, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
2. श्री के० ई० जानसन, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
3. श्री आर० आर० खोसला, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
4. श्री बलवीर सिंह, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
5. श्री ओ० पी० भारद्वाज, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
6. श्री एस० पी० चौधरी, अवर सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

7. श्री एस० एस० मोरे, अवर सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
8. श्री वी० निगम, अवर सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे, उप-सचिव

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और प्रस्तावित विधेयक की विवक्षाओं की ओर ध्यान दिलाते हुये समिति के विचारार्थ रखे गये कार्य के महत्व और अविलम्बनीयता पर जोर दिया।

3. समिति ने कुछ विचार-विमर्श करने के पश्चात् कराधान विधि, चार्टर्ड अकाउन्टेंसी और सम्पति के मूल्यांकन के क्षेत्र में विशेषज्ञों का साक्ष्य लेने का निर्णय किया। इस प्रयोजन के लिये वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीमा विभाग) को 24 नवम्बर, 1971 तक एक सूची भेजने का निर्देश दिया गया जिसमें उन व्यक्तियों के नाम तथा पता दिया हो जो उक्त विधेयक के संबंध में अपनी विशेषज्ञ-राय दे सकते हों। समिति के सदस्यों से भी यह अनुरोध किया गया कि वे 24 नवम्बर, 1971 तक इस विषय से सम्बन्धित उन विशेषज्ञों के नामों का सुझाव दें जिन्हें मौखिक साक्ष्य देने के लिये समिति के समक्ष बुलाया जा सके।

4. तत्पश्चात् समिति ने सभापति को इसके लिए प्राधिकृत किया कि वह मौखिक साक्ष्य के लिए पार्टियों का चयन करे जो कि 6, 7 और 8 दिसम्बर, 1971 को होने वाली समिति की बैठकों के दिन 3 दिन के दूसरे दौर में लिया जाना है।

5. समिति ने 10 और 11 दिसम्बर, 1971 को विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करने का भी निर्णय किया।

6. कुछ सदस्यों के सुझाव पर समिति ने निर्णय किया कि बैठकों की सूचनाओं तथा विधेयक संबंधी अन्य सामग्री का हिन्दी अनुवाद उन सदस्यों को भेजा जाये जो इसके लिए विशेष रूप से आग्रह करें।

7. समिति ने यह इच्छा भी व्यक्त कि सम्बद्ध वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीमा विभाग) समिति को विधेयक से सम्बन्धित सभी पृष्ठाधार सामग्री अंग्रेजी तथा हिन्दी, दोनों भाषाओं में भेजे।

8. इसके पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

दो

दूसरी बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 7 दिसम्बर, 1971 को 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री भागवत झा आजाद—सभापति

सदस्य

2. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल

3. श्री के० बालतन्डायुतम

4. चौधरी दलीप सिंह
5. श्री के० आर० गणेश
6. श्री चिरंजीव झा
7. श्री पीलू मोदी
8. श्रीमती सहोदराबाई राय
9. श्री राम सूरत प्रसाद
10. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी
11. श्री मुल्कीराज सैनो
12. श्री नरेंद्र कुमार साल्वे
13. श्री एम० सी० सामंत
14. श्री इरा सेन्नियान
15. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा
16. श्री वी० तुलसी राम

विधायी परामर्शदाता

1. श्री के० के० सुन्दरम, आयुक्त सचिव, तथा विधायी परामर्शदाता
2. श्री आर० वी० एम० पेरी-शास्त्री, अपर विधायी परामर्शदाता

वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि

(राजस्व और बीमा विभाग)

1. श्री आर० डी० शाह, चेयरमैन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
2. श्री के० ई० जौनसन, सदस्य केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
3. श्री आर० आर० खोसला, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
4. श्री ओ० पी० भारद्वाज, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे--उप-सचिव

2. समिति द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों का साक्ष्य सुनने से पहले सभापति ने उन व्यक्तियों का ध्यान अध्यक्ष के निर्देशों के निर्देश 58 के उपबंधों की ओर आकर्षित किया।

1. श्री टी० वी० विठ्ठलनाथ अय्यर, एडवोकेट, मद्रास।
(15.00 से 16.45 बजे तक)
2. श्री ओ० वी० कुर्विला, आयकर आयुक्त बम्बई।
(16.45 से 17.00 बजे तक)
श्री ओ० वी० कुर्विला का साक्ष्य पूरा नहीं हुआ।
3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।
4. आगे का मौखिक साक्ष्य सुनने के लिये समिति की बैठक 8 दिसम्बर, 1971 को 14.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई।

तीन

तीसरी बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 8 दिसम्बर, 1971 को 14.00 बजे से 17.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री भागवत झा आजाद--सभापति

2. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
3. श्री के० बालतन्डायुतम
4. श्री के० आर० गणेश
5. श्री चिरंजीव झा
6. श्री दिनेश जोरदर
7. श्री पीलू मोदी
8. श्री तारकेश्वर पाण्डे
9. श्रीमती सहोदराबाई राय
10. चौधरी राम सेवक
11. श्री राम सूरत प्रसाद
12. श्री वीरेन्द्र सिंह राव
13. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे
14. श्री एस० सी० सामंत
15. श्री इरा सेझियान
16. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा

विधायी परामर्शदाता

1. श्री आर० वी० एस० पैरी—शास्त्री, अपर विधायी-परामर्शदाता
वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि
(राजस्व और बीमा विभाग)

1. श्री आर० डी० शाह, चेयरमैन, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
2. श्री के० ई० जानसन, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
3. श्री आर० आर० खोसला, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
4. श्री ओ० पी० भारद्वाज, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे उप-सचिव

2. समिति ने श्री ओ० वी० कुरुविला, आय-कर आयुक्त बम्बई का साक्ष्य पुनः सुनना प्रारम्भ किया। उनका साक्ष्य 15.00 बजे तक चलता रहा।

3. समिति द्वारा निम्नलिखित एसोसियेशनों का साक्ष्य सुने जाने के पहले सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की ओर आकर्षित किया :-

एक—ग्राल इण्डिया टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन, नई दिल्ली।

1. श्री जी० सी० शर्मा, उपाध्यक्ष।
2. श्री ओ० पी० दुआ, महासचिव।
3. श्री के० के० वढ़ेरा, सचिव।
4. श्री वाई० पी० महना, सचिव।
5. श्री एस० आर० भार्गव, कोषाध्यक्ष।
6. श्री जगदीश प्रसाद, सदस्य, कार्यकारिणी समिति।
7. श्री डी० पी० महाजन, सदस्य, कार्यकारिणी समिति।
8. श्री नवल किशोर, सदस्य, कार्यकारिणी समिति।
9. श्री बी० बी० आहुजा, सदस्य, कार्यकारिणी समिति।
10. श्री वियम कुमारिया, सदस्य।
11. श्री आर० सी० चावला, सदस्य।
12. श्री आर० पी० सोनी, सदस्य।

(15.00 से 16.00 बजे तक)

दो--इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया, नई दिल्ली

1. श्री ए० बी० टंडन, अध्यक्ष।
2. श्री आर० के० खन्ना, उपाध्यक्ष।
3. श्री एन० सी० कृष्णन्, चेयरमैन, कराधान समिति।
4. श्री सी० बालाकृष्णन्, सचिव।

(16.00 से 17.20 बजे तक)

4. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।
5. समिति ने निश्चय किया कि श्री एन० ए० पालकीवाला, श्री एम० सी० सीतलवाड, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ और कुछ संबैधानिक विशेषज्ञों, जिनकी सिफारिश वित्त मंत्रालय करे, के विचार 20, 21 और 22 दिसम्बर, 1971 को होने वाली बैठकों में सुने जायें।
6. क्योंकि प्रतिवेदन की निर्धारित तारीख अर्थात् 15 दिसम्बर, 1971 तक प्रस्तुत कर पाना सम्भव नहीं था, समिति ने यह निर्णय किया कि अपने प्रतिवेदन को बजट सत्र (1972) के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जाये।
7. समिति ने सभापति को, तथा उनकी अनुपस्थिति में श्री पीलू मोदी को शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 1971 को समय बढ़ाने सम्बन्धी आवश्यक प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।
8. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

चार

चौथी बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 20 दिसम्बर, 1971 को 15.00 बजे से 17.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री भागवत झा आजाद--सभापति

सदस्य

2. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
3. श्री के० बालतन्डायुतम
4. श्री आनन्दी चरण दास
5. श्री के० आर० गणेश
6. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
7. श्री चिरंजीव झा
8. श्री के० मालना
9. श्री पीलू मोदी
10. श्री तारकेश्वर पांडे
11. श्रीमती सहोदराबाई राय
12. श्री वीरेन्द्र सिंह राव
13. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी
14. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे

15. श्री एस० सी० सामन्त
16. श्री इरा सेझियान
17. श्री शिवपूजन शास्त्री
18. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
19. श्री यशवंतराव चव्हाण

विधायी परामर्शदाता

1. श्री के० के० सुन्दरम—संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता
2. श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री—अपर विधायी परामर्शदाता
3. श्री एस० रमैया—उप-विधायी परामर्शदाता

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० डी० शाह—चेयरमैन, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
2. श्री के० ई० जानसन—सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
3. श्री आर० आर० खोसला—सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
4. श्री ओ० पी० भारद्वाज—सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप-सचिव

2. समिति द्वारा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन० ए० पालकीवाला का साक्ष्य सुनने से पहले सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष के निर्देशों के निर्देश 58 के उपबंधों की ओर आकर्षित किया।
3. साक्ष्य 17.15 बजे तक जारी रहा।
4. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।
5. इसके पश्चात् समिति भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ, नई दिल्ली का साक्ष्य सुनने के लिए मंगलवार, 21 दिसम्बर, 1971 को 15.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

पांच

पांचवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 21 दिसम्बर 1971 को 15.00 बजे से 16.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री भागवत झा आजाद—सभापति

सदस्य

2. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
3. श्री के० बालतन्डायुतम
4. श्री छोटे लाल
5. श्री अनंदा चरण दास
6. श्री चिरंजीव झा
7. श्री दिनेश जोरदर
8. श्री नागेश्वर राव मैदुरी
9. श्री पीलू मोदी

10. श्री तारकेश्वर पाण्डे
11. श्रीमती सहोदराबाई राय
12. श्री राम सूरत प्रसाद
13. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी
14. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे
15. श्री एस० सी० सामन्त
16. श्री इरा सेन्नियान
17. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
18. श्री बी० तुलसीराम
19. श्री यशवंतराव चव्हाण

विधायी परामर्शदाता

1. श्री के० के० सुन्दरम्, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता ।
2. श्री एस० रमैया, उप-विधायी परामर्शदाता ।

वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० डी० शाह, अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।
2. श्री के० ई० जान्सन, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।
3. श्री आर० आर० खोसला, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।
4. श्री ओ० पी० भारद्वाज, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप-सचिव

2. समिति द्वारा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ, नई दिल्ली, के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का साक्ष्य सुने जाने के पूर्व, सभापति महोदय ने उनका ध्यान अध्यक्ष महोदय के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों की ओर आकर्षित किया :—

- (1) श्री ए० के० जैन—अध्यक्ष
 - (2) श्री जी० एल० बंसल—महासचिव
 - (3) श्री ओ० पी० वैश्य—प्रधान, कराधान प्रभाग
- साक्ष्य 16.15 बजे तक लिया जाता रहा।

3 साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात् समिति श्री एम० सी० सीतलवाड, संसद सदस्य, का साक्ष्य सुनने के लिये बुधवार दिनांक 22 दिसंबर, 1971 को 15.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई।

छः

छठी बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 22 दिसंबर, 1971 को 15.00 बजे से 16.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री भागवत झा आजाद—सभापति

सदस्य

2. श्री वीरेंद्र अग्रवाल
3. श्री के० बालतन्डायुतम

4. श्री छोटे लाल
5. श्री आनंदी चरण दास
6. श्री के० आर० गणेश
7. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
8. श्री चिरंजीव झा
9. श्री नागेश्वरराव मैदुरी
10. श्री पीलू मोदी
11. श्री तारकेश्वर पांडे
12. श्रीमती सहोदराबाई राय
13. श्री राम सूरत प्रसाद
14. श्री पी० नरसिंहा रेड्डी
15. श्री मुल्की राज सैनी
16. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे
17. श्री एस० सी० सामंत
18. श्री शिव पूजन शास्त्री
19. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
20. श्री वी० तुलसीराम
21. श्री यशवंतराव चव्हाण

विधायी परामर्शदाता

1. श्री के० के० सुन्दरम्, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता।
2. श्री आर० वी० एस० पेरि शास्त्री, अपर विधायी परामर्शदाता।
3. श्री एस० रमैया, उप-विधायी परामर्शदाता।

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० डी० शाह, अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
2. श्री के० ई० जान्मन, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
3. श्री आर० आर० खोसला, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
4. श्री ओ० पी० भारद्वाज, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप-सचिव

2. समिति द्वारा संसत्सदस्य श्री एम० सी० सीतलवाड का साक्ष्य सुने जाने के पूर्व, सभापति महोदय ने उनका ध्यान अध्यक्ष महोदय के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों की ओर आकर्षित किया :—

उनका साक्ष्य 16.00 बजे तक जारी रहा।

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि विभिन्न साक्षियों द्वारा साक्ष्य के दौरान उठाये गये प्रश्नों/सुझावों को वित्त मंत्रालय समिति के विचारार्थ सारणीबद्ध करे और उन पर अपनी टिप्पणियां दे।

5. तत्पश्चात् समिति ने यह निश्चय किया कि भारत के उच्चतम न्यायालय के बरिष्ठ अधिवक्ता, श्री ए० एस० आर० चारी का साक्ष्य गुरुवार दिनांक 23 दिसम्बर, 1971 को 15.00 बजे सुना जाय।

6. तत्पश्चात् समिति स्थगित हुई।

सात

सातवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 24 जनवरी, 1972 को 11.00 से 11.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री भागवत झा आजाद—सभापति

सदस्य

2. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
3. श्री छोटे लाल
4. चौधरी दलीप सिंह
5. श्री पीलू मोदी
6. श्रीमती सहोदराबाई राय
7. चौधरी राम सेवक
8. श्री राम सुरत प्रसाद
9. श्री एस० सी० मामंत
10. श्री शिव पूजन शास्त्री
11. श्री यशवंतराव चव्हाण

विधायी परामर्शदाता

1. श्री के० के० सुन्दरम्, संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता
2. श्री पी० वी० वेंकटसुब्रह्मण्यम, संयुक्त सचिव तथा विधि परामर्शदाता
3. श्री आर० वी० एस० पेरि शास्त्री, विधायी अपर परामर्शदाता।
4. श्री एस० रमैया, विधायी उप-परामर्शदाता।

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री वी० डी० पांडे, वित्त सचिव।
2. श्री आर० डी० शाह, चेयरमैन, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
3. श्री आर० आर० खोसला, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
4. श्री ओ० पी० भारद्वाज, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप-सचिव

2. वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री श्रीमती सुशीला रोहतगी ने, जो प्रवर समिति की सदस्य नहीं है, लोक-सभा के प्रक्रिय तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 299 के अंतर्गत सभापति की अनुज्ञा से बैठक में भाग लिया।

3. कुछ चर्चा के बाद समिति ने अनुभव किया कि विधेयक पर खंडवार विचार करने से पूर्व उन खंडों के संवैधानिक पहलू की जांच-पड़ताल की जाये जो क्रम मूल्य कम घोषित करने के मामले में अचल सम्पत्ति अर्जित कर लेने से सम्बन्धित हैं। समिति ने इस संबंध में विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले), जो समिति के सदस्य हैं, के विचारों को जानने की इच्छा प्रकट की।

4. तत्पश्चात् समिति शुक्रवार, 28 जनवरी, 1972 को 16.30 बजे सम्मेलित होने के लिये स्थगित हुई।

आठ

आठवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 28 जनवरी, 1972 को 16.30 से 17.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री भागवत झा आजाद—सभापति

सदस्य

2. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
3. श्री के० बालतन्डायुतम
4. श्री छोटे लाल
5. श्री आनन्दी चरण दास
6. चौधरी दलीप सिंह
7. श्री एच० आर० गोखले
8. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
9. श्री नागेश्वरराव मैदुरी
10. श्री पीलू मोदी
11. श्री तारकेश्वर पांडे
12. श्रीमती सहोदराबाई राय
13. चौधरी राम सेवक
14. श्री राम सूरत प्रसाद
15. श्री वीरेन्द्र सिंह राव
16. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी
17. श्री एन० के० पी० साल्वे
18. श्री एस० सी० सामंत
19. श्री इरा सेक्षियान
20. श्री शिव पूजन शास्त्री
21. श्री वी० तुलसीराम
22. श्री यशवंतराव चव्हाण

विधायी परामर्शदाता

1. श्री के० के० मुन्दरम्, संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता।
2. श्री पी०वी० वेंकटसुब्रह्मण्यम, संयुक्त सचिव तथा विधि परामर्शदाता।
3. श्री आर० वी० एस० पेरिशास्त्री, विधायी अपर परामर्शदाता।
4. श्री एस० रमैया, विधायी उप-परामर्शदाता।

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री बी० डी० पांडे, वित्त सचिव।
2. श्री आर० डी० शाह, चेयरमैन, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
3. श्री के० ई० जानसन, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
4. श्री आर० आर० खोसला, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
5. श्री ओ० पी० भारद्वाज, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।

सचिवालय

श्री पी० के० पटनायक—संयुक्त सचिव।
श्री एच० पी० परांजपे—उप-सचिव।

2. समिति ने विधेयक की संवैधानिक वैधता पर विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले), जो समिति के सदस्य हैं, के विचारों को सुना, मंत्री महोदय ने कहा कि विधेयक संवैधानिक दृष्टि से वैध है। वित्त मंत्री ने भी (श्री यशवंतराव चव्हाण), जो समिति के सदस्य भी हैं, वही बात दुहराई।

3. कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात् समिति ने निश्चय किया कि वह अपनी आगामी बैठक से विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

5. समिति फिर मार्च, 1972 में समवेत होने के लिए, जिसकी ठीक तारीख का निश्चय सभापति महोदय करेंगे, स्थगित हुई।

नौ

नवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार 15 मार्च, 1972 को 15.30 बजे से 16.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री भागवत झा आजाद—सभापति।

सदस्य

2. श्री वीरेंद्र अग्रवाल
3. श्री छोटे लाल
4. श्री आन्नदी चरण दास
5. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
6. श्री दिनेश जोरदर
7. श्री पीलू मोदी
8. चौधरी राम सेवक
9. श्री राम सूरत प्रसाद
10. श्री वीरेंद्र सिंह राव
11. श्री शिव पूजन शास्त्री
12. श्री यशवंत राव चव्हाण

विधायी परामर्शदाता

1. श्री के० के० सुन्दरम्, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता।
2. श्री आर० वी० एस० पेरीशास्त्री, विधायी अपर परामर्शदाता।
3. श्री एस० रमैया, विधायी उप-परामर्शदाता।

वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री आर० डी० शाह, सभापति, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
2. श्री के० ई० जानसन, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
3. श्री आर० आर० खोसला, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
4. श्री ओ० पी० भारद्वाज, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
5. श्री बी० ए० मेनन, अवर सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप-सचिव ।

2. प्रारंभ में सभापति ने सदस्यों को बताया कि कुछ राज्य विधान सभाओं और केन्द्र शासित क्षेत्रों में चुनाव होने के कारण समिति के अधिकांश सदस्य चुनावों में व्यस्त रहे इसलिए विधेयक पर खंड-वार चर्चा करने के लिए समिति की बैठक पहले नहीं की जा सकी । चूंकि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख 18 मार्च, 1972 है अतः इस तारीख तक विधेयक के विभिन्न प्रक्रियों को अन्तिम रूप देना और काम पूरा करना संभव नहीं है ।

3. अतः समिति ने निश्चय किया कि वह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को और आगे 10 मई, 1972 तक बढ़ाने की मांग करेगी ।

4. समिति ने सभापति को और उनकी अनुपस्थिति में श्री पीलू मोदी को समय बढ़ाने के लिए शुक्रवार 17 मार्च, 1972 को सदन में आवश्यक प्रस्ताव पेश करने के लिए प्राधिकृत किया ।

5. समिति ने यह भी निश्चय किया कि समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य को मूद्रित करवाया जाय और यथासमय सभा-पटल पर रखा जाये ।

6. तदनन्तर समिति ने निश्चय किया कि सोमवार 3 अप्रैल, 1972 से बुधवार 5 अप्रैल, 1972 तक प्रतिदिन 15.00 बजे से होने वाली समिति की बैठकों के आगामी दौर में विधेयक पर खण्ड-वार चर्चा शुरू की जाये ।

7. समिति ने यह भी निश्चय किया कि जो सदस्य विधेयक पर संशोधनों की सूचनायें देना चाहें वे 30 मार्च, 1972 तक अपने संशोधन भेज दें ।

8. तदनन्तर समिति की बैठक स्थगित हुई ।

दस

दसवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 3 अप्रैल, 1972 को 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री भागवत झा आजाद—सभापति ।

सदस्य

2. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
3. श्री छोटे लाल
4. चौधरी दलीप सिंह
5. श्री के० आर० गणेश
6. श्री चिरंजीव झा
7. श्री दिनेश जोरदर
8. श्री पीलू मोदी
9. श्रीमती सहोदरा बाई राय
10. श्री वीरेन्द्र सिंह राव
11. श्री मुल्की राज सैनी
12. श्री एन० के० पी० साल्वे

13. श्री एस० सी० सामन्त ।
14. श्री शिवपूजन शास्त्री ।
15. श्री यशवन्तराव चव्हाण ।

विधायी सलाहकार

1. श्री के० के० सुन्दरम्, संयुक्त सचिव तथा विधायी सलाहकार
2. श्री आर० वी० एस० पेरीशास्त्री, अपर विधायी सलाहकार
3. श्री एस० रमथ्या, उप विधायी सलाहकार

वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग के प्रतिनिधि)

1. श्री बी० डी० पान्डे, सचिव ।
2. श्री आर० डी० शाह, अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
3. श्री के० ई० जानसन, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
4. श्री आर० आर० खोसला, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
5. श्री प्रो० पी० भारद्वाज, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे, उप-सचिव

2. समिति ने विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ किया ।
3. खण्ड 2 और 3 : इन खण्डों पर विचार स्थगित कर दिया गया है ।
4. खण्ड 4 : निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गए :

(1) पृष्ठ 2, पंक्ति 29, 30 और 31 के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाए ।

(क) "प्रकट प्रतिफल" से किसी अन्तरित स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में अभिप्रेत है,—

(i) यदि अन्तरण विक्रय के रूप में है तो, अन्तरण लिखत में विनिर्दिष्ट ऐसे अन्तरण का प्रतिफल ;

(ii) यदि अन्तरण विनिमय के रूप में है तो,

(क) उस दशा में जहां अन्तरण का प्रतिफल एक वस्तु या एक से अधिक वस्तुएं हैं, वहां, वह कीमत जो ऐसी वस्तु या वस्तुओं का अन्तरण लिखत के निष्पादन की तारीख को खुले बाजार में विक्रय करने पर सामान्यतया प्राप्त होगी;

(ख) उस दशा में जहां अन्तरण का प्रतिफल एक वस्तु या एक से अधिक वस्तुएं और धनराशि है वहां, उस कीमत का जो ऐसी वस्तु या वस्तुओं का अन्तरण लिखत के निष्पादन की तारीख को खुले बाजार में विक्रय करने पर सामान्यतया प्राप्त होगी और ऐसी राशि का योग ।

(दो) पृष्ठ 3, -

पंक्ति 10 और 11 के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाए,—

(ङ) "स्थावर सम्पत्ति" से कोई भूमि या कोई भवन या भवन का कोई भाग अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत जहां कोई भूमि या कोई भवन या भवन का कोई भाग किसी मशीनरी, संयंत्र, फर्नीचर, फिटिंग या अन्य वस्तुओं के साथ अन्तरित की जाती है वहां ऐसी मशीनरी संयंत्र, फर्नीचर, फिटिंग या अन्य वस्तुएं भी हैं

स्पष्टीकरण - इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, भूमि, भवन, भवन का भाग, मशीनरी, संयंत्र, फर्नीचर, फिटिंग और अन्य वस्तुओं के अन्तर्गत उनमें कोई अधिकार भी है।

(तीन) पृष्ठ तीन, पंक्ति 13, के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए--

“(च) “हितबद्ध व्यक्ति” के अन्तर्गत स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में वे सभी व्यक्ति हैं जो इस अध्याय के अधीन उस सम्पत्ति के अर्जन के कारण संदेय प्रतिकर में हित का दावा करते हैं या दावा करने के हकदार हैं।”

(चार) पृष्ठ 3, पंक्ति 15, “विक्रय” के पश्चात् “या विनिमय” अन्तःस्थापित किया जाए।

(पांच) पृष्ठ 4, पंक्ति 15, --

“269ग के स्थान पर, 269ग (1)” प्रतिस्थापित किया जाए।

(छः) पृष्ठ 6, पंक्ति 9, --

“अन्तरिती” के पूर्व “अन्तरक” अन्तः स्थापित किया जाए।

(सात) पृष्ठ 6,--

पंक्ति 24 से 28 के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाय -

“269ड (1) उस स्थावर सम्पत्ति के जिसकी बाबत धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में सूचना प्रकाशित की गई है, अर्जन के विरुद्ध आक्षेप --

(क) अन्तरक या अन्तरिती उस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की कालावधि के अन्दर या उक्त खण्ड के अधीन ऐसे व्यक्ति पर सूचना के तामील किए जाने की तारीख से तीस दिन की कालावधि के अन्दर, इनमें से जो भी बाद में समाप्त हो, किए जा सकते हैं ;

(ख) ऐसी स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ऐसे प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन के अन्दर किए जा सकते हैं।”

(आठ) पृष्ठ 6, पंक्ति 31 से 34 का लोप किया जाए।

(नौ) पृष्ठ सात, 7,--

पंक्ति 8 और 9, “या तो व्यक्तिगत रूप में या किसी प्राधिकृति प्रतिनिधि द्वारा” का लोप किया जाए।

(दस) पृष्ठ 7,--

पंक्ति 17 से 20 के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाय,--

“(6) यदि आक्षेपों को, यदि कोई हो, सुनने के पश्चात् और अभिलिखित सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि,--

(क) वह स्थावर सम्पत्ति जिससे कार्यवाहियां सम्बन्धित हैं पच्चीस हजार रुपये से अधिक उचित बाजार मूल्य की हैं।”

(ग्यारह) पृष्ठ 7 पंक्ति 24, “पूर्णतः” के स्थान पर “सत्य” प्रतिस्थापित किया जाए।

(बारह) पृष्ठ 7,—

पंक्ति 34 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए,—

“(8) सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, उपधारा (6) या उपधारा (7) के अधीन अपने आदेश की एक प्रति अन्तरक, अन्तरिती और ऐसे हर व्यक्ति पर तामील करेगा जिसने ऐसे अर्जन के विरुद्ध धारा 269ड के अधीन आक्षेप किए हैं।”

(तेरह) पृष्ठ 13, पंक्ति 22, “नौ” के स्थान पर “बारह” प्रतिस्थापित किया जाय।

(चौदह) पृष्ठ 14 पंक्ति से 22 का लोप किया जाए।

(पन्द्रह) पृष्ठ 14, पंक्ति 23—

“(4)” के स्थान पर “(3)” प्रतिस्थापित किया जाए।

(सोलह) पृष्ठ 14,—

पंक्ति 28 से 30 के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाए, —

“स्पष्टीकरण— इस धारा में, “मूल्यांकन अधिकारी” का वही अर्थ है जो धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 2 खण्ड (द) में है”

5. समिति ने निश्चय किया कि धारा 269च के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के आदेश के विरुद्ध अपीलें आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में की जानी चाहिये, न कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में।

6. खण्ड 4 में निम्नलिखित संशोधन भी इस शर्त पर स्वीकृत हुआ कि आय कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की व्यवस्था करने का समिति द्वारा निर्णय लिए जाने के परिणामस्वरूप इसमें प्रारूप सम्बन्धी परिवर्तन किए जायेंगे।

पृष्ठ 15,—

पंक्ति 11 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाय,—

प्राधिकृत प्रतिनिधि या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन द्वारा उपसंजाति के समक्ष उपस्थित होने के लिए हकदार है या अपेक्षित है, उस दशा के सिवाय जहां वह धारा 269ठ के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए अपेक्षित है, —

(क) किसी भी मामले के सम्बन्ध में किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हो सकता है ;

(ख) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी स्थावर सम्पत्ति के मूल्यांकन से या उस रकम के प्राक्कलन से, जिससे धारा 269झ की उपधारा (1) के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की रकम, यथास्थिति, उस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है प्राक्कलन से सम्बन्धित किसी मामले के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा उपस्थित हो सकता है ;

स्पष्टीकरण — इस धारा में, —

(एक) “प्राधिकृत प्रतिनिधि” का वही अर्थ है जो धारा 288 में है ;

(दो) “रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक” का वही अर्थ है जो धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 2 के खण्ड (णकक) में है।”

1957 का 27

7. खण्ड 4 पर आगे विचार स्थगित कर दिया गया।

8. खण्ड 5—यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत कर लिया गया।

9. नया खण्ड 5क-निम्नलिखित नया खण्ड स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 16,—

पंक्ति 32 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये,—

“5क. आय-कर अधिनियम, में, धारा 287 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कुछ मामलों में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा उपसंजाति। “287क कोई निर्धारिती जो किसी आय-कर प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष किसी आस्ति के मूल्यांकन से सम्बद्ध किसी मामले के संबंध में उपस्थित होने के लिये हकदार या अपेक्षित है, उस दशा के सिवाय जहां वह धारा 131 के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए अपेक्षित है,

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा उपस्थित हो सकता है।

स्पष्टीकरण— धारा में, “रजिस्ट्रीकृत”

1957 का 27

“मूल्यांकक” का वही अर्थ है जो धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 2 के खण्ड (णकक) में है।”

10. खण्ड 6, 7 और 8—ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए।

11. खण्ड 9—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ। पृष्ठ 18, पंक्ति 6 और 7, “मूल्यांकन अधिकारी को किसी आस्ति के मूल्यांकन के लिए निर्देश कर सकता है” के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये,—

“मूल्यांकन अधिकारी को किसी आस्ति के मूल्यांकन के लिए निर्देश—

- (क) उस दशा में कर सकता है जहां आस्ति का विवरणी में दिया गया मूल्य रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए प्राक्कलन के अनुसार है, यदि धन कर अधिकारी की यह राय है कि इस प्रकार विवरणी में दिया गया मूल्य उचित बाजार मूल्य से कम है;
- (ख) किसी अन्य दशा में कर सकता है, यदि धन-कर अधिकारी की राय है,—

(1) कि आस्ति का उचित बाजार मूल्य से, आस्ति के विवरणी में दिए गए मूल्य से आस्ति के विवरणी में दिये गये मूल्य के इतने प्रतिशत से या इतनी रकम से अधिक है जो इस निमित्त विहित की जाए, या

(2) आस्ति की प्रकृत और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा करना आवश्यक है।”

यह खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

समिति ने यह फैसला किया कि आय-कर अधिनियम, 1961 और दान कर अधिनियम, 1958 में भी ऐसे संशोधन किये जायें।

12. खण्ड 10, 11 और 12—ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए।

13. खण्ड 13—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 20, पंक्ति 29 और 30,—

“अपने विकल्प और खर्च पर, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की सहायता ले सकता है “के स्थान पर” उस दशा के सिवाए जहां इस

अधिनियम के अधीन वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए अपेक्षित है, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा उपस्थित हो सकता है।" प्रतिस्थापित किया जाये। यह खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

14. खण्ड 14--यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

15. खण्ड 15--निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ।

पृष्ठ 23, पंक्ति 4 "जो मिथ्या है या" के स्थान पर "जो मिथ्या है" और "प्रतिस्थापित किया जाये।"

इस खण्ड पर है आगे विचार स्थगित हुआ।

16. खण्ड 16.--यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

17. खण्ड 17. --निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 23, पंक्ति 25 और 26,--

"उसके अधिभोग के किसी स्थान पर" के स्थान पर उसके अधिभोग या स्वामित्व की किसी भूमि, भवन या अन्य स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाये।

यह खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

18. खण्ड 18, 19, 20 और 21:--ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए।

19. खण्ड 22--निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ।

पृष्ठ 25, पंक्ति 13 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये,--

"22क. दान-कर अधिनियम में, धारा 43 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:--

कुछ मामलों में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा उपसंजाति। "43क कोई निर्धारित जो किसी दान-कर प्राधिकारी के या अपील अधिकरण के समक्ष किसी

आस्ति के मूल्यांकन से सम्बन्ध किसी मामले के सम्बन्ध में उपस्थित होने के लिये हकदार या अपेक्षित है, उस दशा के सिवाय जहां वह इस अधिनियम के अधीन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिये अपेक्षित है, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा उपस्थित हो सकता है।"

स्पष्टीकरण--इस धारा में, --"रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक" का वही अर्थ है जो धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 2 के खण्ड (णकक) में है।

1957 का 27

यह खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

20. खण्ड 23 --यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

21. तत्पश्चात् समिति की बैठक विधेयक पर आगे खण्डवार विचार करने के लिये बुधवार, 5 अप्रैल, 1972 को 15.00 बजे पुनः समवेत होने तक स्थागित हुई।

ग्यारह

ग्यारहवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 5 अप्रैल, 1972 को 15.00 बजे से 17.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री भागवत झा आजाद--सभापति।

सदस्य

2. श्री के. बालतन्डायुतम
3. श्री छोटे लाल
4. श्री आनन्दी चरण दास
5. श्री के० आर० गणेश
6. श्री दिनेश जोरदार
7. श्री के. मालन्ना
8. श्री पीलू मोदी
9. श्रीमती सहोदराबाई राय
10. श्री राम सूरत प्रसाद
11. श्री मुल्की राय सैनी
12. श्री एन० के० पी० साल्वे
13. श्री एस०सी० सामन्त
14. श्री शिव पूजन शास्त्री
15. श्री यशवन्तराव चव्हाण

विधायी परामर्शदाता

1. श्री के० के० सुन्दरम, संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता।
2. श्री पी० वी० वेंकटसुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार।
3. श्री आर० बी० एस० पेरी शास्त्री, अपर विधायी परामर्शदाता।
4. श्री एस० रमैया, उप-विधायी परामर्शदाता।

वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि

(राजस्व तथा बीमा विभाग)

1. श्री बी० डी० पाण्डे, सचिव।
2. श्री आर० डी० शाह, चेयरमैन, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
3. श्री के० ई० जानसन, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
4. श्री आर० आर० खोसला, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
5. श्री ओ० पी० भारद्वाज, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप-सचिव।

2. समिति ने विधेयक पर आगे खण्डवार विचार आरम्भ किया।
3. खण्ड 2—[देखिये 3 अप्रैल, 1972 की बैठक के कार्यवाही—सारांश के पैराग्राफ 3 तथा 11] निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये:

पृष्ठ 2, पंक्ति 8-9 "मूल्यांकन अधिकारी को मामला निर्दिष्ट कर सकता है" के स्थान पर यह प्रस्थापित किया जाये।

"मूल्यांकन अधिकारी को पंजीकृत आस्ति का मूल्यांकन निर्दिष्ट—

- (क) उस दशा में कर सकता है जहां आस्ति का निर्धारितता द्वारा दावा किया गया मूल्य रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए प्राक्कलन के अनुसार है, यदि आय कर अधिकारी की यह राय है कि इस प्रकार दावा किया गया मूल्य उचित बाजार मूल्य से कम है;

- (ख) किसी अन्य दशा में कर सकता है यदि आय कर अधिकारी की यह राय है,—

- (एक) कि आस्ति का उचित बाजार मूल्य, निर्धारितता द्वारा दावा किये गये मूल्य से, आस्ति के दावा किए गए मूल्य के इतने

प्रतिशत से या इतनी रकम से अधिक है जो इस निमित्त विहित की जाए; या

(दो) आस्ति की प्रकृति और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा करना आवश्यक है;

और जहां कहीं ऐसा हो।”

यह खण्ड, संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

4. खण्ड 4.—[दिखिये 3 अप्रैल, 1972 की बैठक के कार्यवाही—सारांश का पैराग्राफ 7]—निम्नलिखित और संशोधन स्वीकृत हुआ।

(एक) पृष्ठ 4, पंक्ति 36 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये:

“परन्तु ऐसी कार्यवाहियां प्रारंभ करने से पहले, सक्षम प्राधिकारी ऐसे करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा।

(2) इस अध्याय के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति की बाबत किसी कार्यवाही में,—

(क) जहां ऐसी सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके प्रकट प्रतिफल से, ऐसे प्रकट प्रतिफल के पच्चीस प्रतिशत से अधिक है। वहां वह इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि पक्षकारों के बीच करार किए गए ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल अन्तरण लिखित में सत्य कथन नहीं किया गया है;

(ख) जहां सम्पत्ति का ऐसे प्रकट प्रतिफल के लिए अन्तरण किया गया है जो उसके उचित बाजार मूल्य से कम है, वहां, जब तक इसके प्रतिकूल प्रमाणित न हो जाए, यह उपधारण की जाएगी कि पक्षकारों के बीच करार किए गए ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल का अन्तरण लिखित में सत्य कथन उस उद्देश्य से नहीं किया गया है जो उप-धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट है।”

(दो) पृष्ठ 6, पंक्ति 30 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

“सन्देह दूर करने के लिये, एतत् द्वारा घोषित किया जाता है कि उप-धारा (1) के अधीन यह आपत्ति की जा सकती है कि धारा 269-ग की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के उपबन्ध किसी स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में इस आधार पर लागू नहीं होते कि ऐसी सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके प्रकट प्रतिफल से ऐसे प्रकट प्रतिफल के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं है।”

(तीन) पृष्ठ 15, पंक्ति 26 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित कीजिए:—

“269 ढ ढ इस अध्याय के उपबन्ध किसी ऐसे अन्तरण पर या उसके सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।” “यदि कोई व्यक्ति स्वाभाविक प्रेम और स्नेह के कारण अपने सम्बन्धी को ऐसे मूल्य पर स्थावर सम्पत्ति अन्तरित करता है जो उचित बाजार मूल्य से कम है और यदि अन्तरण लिखित में इस आशय का उल्लेख किया जाता है।”

इस खण्ड पर और आगे विचार रोक दिया गया।

5. खण्ड 15.—[दिखिये दिनांक 3 अप्रैल, 1972 की बैठक के कार्यवाही सारांश का पैराग्राफ 15] निम्नलिखित और संशोधन स्वीकृत हुआ:

यह अध्याय सम्बन्धियों को अन्तरण के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा।

पृष्ठ 23, पंक्ति 6-7

“छः मास तक की हो सकेगी या जुमाने से” के स्थान पर “छः मास तक की हो सकेगी या जुमाने से या दोनों से” प्रतिस्थापित किया जाये।

खण्ड, अग्रेतर संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

6. खण्ड 20.—[देखिये दिनांक 3 अप्रैल, 1972 की बैठक के कार्यवाही सारांश के पैराग्राफ 11 तथा 18]—समिति ने खण्ड पर पुनः विचार आरम्भ किया और निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत किया:

पृष्ठ 24, पंक्ति 30, 31 और 32, “दान के रूप में अन्तरित किसी सम्पत्ति के मूल्यांकन का निर्देश कर सकेगा और जहां ऐसा कोई निर्देश किया जाता है वहां के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—
“दान के रूप में अन्तरित किसी सम्पत्ति के मूल्यांकन का मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश—

(क) उस दशा में कर सकता है जहां सम्पत्ति का विवरणी में दिया गया मूल्य रजिस्ट्रीकृत मूल्यांक द्वारा किए गए प्राक्कलन के अनुसार है, यदि दान-कर अधिकारी की यह राय है कि इस प्रकार विवरणी में दिया गया मूल्य उचित बाजार मूल्य से कम है;

(ख) किसी अन्य दशा में कर सकता है, यदि दान कर अधिकारी की यह राय है—

(एक) कि सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, सम्पत्ति के विवरणी में दिए गए मूल्य से, सम्पत्ति के विवरणी में दिए गए मूल्य के इतने प्रतिशत से या इतनी रकम से अधिक है जो इस निमित्त विहित की जाए, या

(दो) सम्पत्ति की प्रकृति और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक है; और जहां इस प्रकार का कोई निर्देश दिया जाता है वहां, खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।”

7. तत्पश्चात् समिति विधेयक पर आगे खण्डवार विचार करने के लिये बृहस्पतिवार 13 अप्रैल, 1972 को 09.00 बजे पुनः समवेत होने तक स्थगित हुई।

बारह

बारहवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 18 अप्रैल, 1972 को 09.00 बजे से 10.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री भागवत झा आजाद—सभापति

सदस्य

2. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल

3. श्री के० बालतंडायुतम

4. श्री के० आर० गणेश
5. श्री एच० आर० गोखले
6. श्री चिरंजीव झा
7. श्री पीलू मोदी
8. श्री तारकेश्वर पांडे
9. श्रीमती सहोदराबाई राय
10. चौधरी राम सेवक
11. श्री राम सूरत प्रसाद
12. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी
13. श्री मुल्की राज सैनी
14. श्री एन० के० पी० मालवे
15. श्री इरा सेन्नियान
16. श्री शिव पूजन शास्त्री
17. श्री टी० सोहन लाल
18. श्री वी० तुलसीराम
19. श्री यशवन्तराव चव्हाण

विधायी सलाहकार

1. श्री के० के० सुन्दरम्, संयुक्त सचिव तथा विधायी सलाहकार
2. श्री पी० वी० वेंकटामुब्रह्मण्यम्, संयुक्त सचिव तथा विधायी सलाहकार.
3. श्री आर० वी० एस० पेरी-शास्त्री, अपर विधायी सलाहकार
4. श्री एस० रमय्या, उप विधायी सलाहकार ।

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री वी० डी० पान्डे, सचिव
2. श्री आर० डी० शाह, अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
3. श्री के० ई० जान्सन, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
4. श्री आर० आर० खोमला, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
5. श्री ओ० पी० भारद्वाज, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप-सचिव ।

2. समिति ने विधेयक पर आगे खण्ड-वार विचार आरंभ किया ।
3. खण्ड 4—[द्विदिनांक 5 अप्रैल, 1972 के कार्यवाही-सारांश का पैरा 4]—निम्नलिखित और संशोधन भी स्वीकार किये गये:—

(एक) पृष्ठ 4 पंक्ति 36 के पश्चात् यह अन्तःस्थापित किया जाये,—

“परन्तु यह और कि ऐसी कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जाएगी जब तक सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास का कारण नहीं है कि सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके प्रकट प्रतिफल से, ऐसे प्रकट प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है ।”

(दो) पृष्ठ 5, पंक्ति 5 से 14 के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये—

“परन्तु किसी स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में ऐसी कोई कार्यवाही रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्तरण लिखित के रजिस्ट्रीकृत होने के मास के अन्त से छह मास के अवमानके पश्चात् प्रारम्भ नहीं की जाएगी ।”

इस सम्बन्ध में समिति ने निदेश दिया कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के संगत उपबन्धों में संशोधन किया जाये ताकि अन्तरण लिखित को रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की जा सके जिससे कि उसके रजिस्ट्रीकरण में होने वाले अत्यधिक विलम्ब को दूर किया जा सके।

(तीन) पृष्ठ 7, पंक्ति 21 और 22 के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये,—

“(ख) ऐसी सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके प्रकट प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है; और”।

(चार) पृष्ठ 8,—

पंक्ति 1 से 10 के स्थान पर, यह प्रतिस्थापित किया जाये,—

“(9) इस अध्याय के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति की बावत कार्य-वाहियों में, इस आधार पर कि आक्षेप ग्रहण नहीं किया जाएगा कि”।

(पांच) पृष्ठ 8 और 9 क्रमशः पंक्ति 21 से 35 और 1 से 23 के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये—

269 छ (1) धारा 269 च के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के लिए आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण से अपील की जा सकती है,—

अपील अधिकरण अपील

(क) अन्तरक या अन्तरिती द्वारा या उस धारा की उप-धारा (8) में निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ऐसे आदेश की तारीख से पैंतालीस दिन की कालावधि के अन्दर या आदेश की प्रति के उक्त उपधारा के अधीन ऐसे व्यक्ति पर तामील किए जाने की तारीख से तीस दिन की कालावधि के अन्दर, इनमें से जो भी कालावधि बाद में समाप्त हो;

(ख) ऐसी स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ऐसे आदेश की तारीख से पैंतालीस दिन के अन्दर :

परन्तु अपील अधिकरण, यथास्थिति, पैंतालीस दिन या तीस दिन की उक्त कालावधि के समाप्त होने के पहले इस निमित्त किए गए आवेदन पर, आदेश द्वारा, ऐसी विस्तारित कालावधि के अन्दर अपील प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुज्ञात कर सकता है जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए यदि आवेदक अपील अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि यथास्थिति, पैंतालीस या तीस दिन की उक्त कालावधि के अन्दर अपील प्रस्तुत करने में समर्थन होने के लिए पर्याप्त कारण था।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील विहित प्ररूप में होगी और विहित रीति में स्थापित की जाएगी और उसके साथ एक सौ पच्चीस रुपए की फीस दी जाएगी।

(3) अपील अधिकरण अपील की सुनवाई के लिए दिन और समय नियत करेगा और अपीलकर्ता को और सक्षम प्राधिकारी को उसकी सूचना देगा।

(4) अपील अधिकरण, अपीलार्थी और सक्षम प्राधिकारी को सुनवाई को अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे।

(5) अपील अधिकरण, आदेश की तारीख से तीस दिन के अंदर, अभिलेख से प्रकट होने वाली किसी भूल का सुधार करने की दृष्टि से, उप-धारा (4) के अधीन अपने द्वारा पारित आदेश का संशोधन कर सकता है और यदि अपीलार्थी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूल उसकी जानकारी में लाई जाती है तो ऐसा संशोधन करेगा :

परन्तु यदि ऐसे संशोधन से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभाव्यता है तो, ऐसे व्यक्ति की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना संशोधन नहीं किया जाएगा।

(6) अपील अधिकरण इस धारा के अधीन पारित आदेशों की एक प्रति अपीलार्थी और आयुक्त को भेजेगा।

(7) धारा 269 छ छ में जैसा उपबंधित है उसके सिवाए, अपील पर अपील अधिकरण द्वारा पारित आदेश अंतिम होंगे।

(8) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील यथासंभव शीघ्रता से निपटाई जाएगी और अपील प्रस्तुत किए जाने की तारीख से नब्बे दिन के अंदर ऐसी अपील को निपटाने का प्रयास किया जाएगा।

(9) धारा 255 के उपबंध [उसकी उप-धारा (3) को छोड़कर] जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन अपील अधिकरण को शक्तियों, कृत्यों और कार्यवाहियों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वह अध्याय 20 के अधीन अधिकरण की शक्तियों, कृत्यों और कार्यवाहियों के संबंध में लागू होते हैं।

उच्च न्यायालय से
अपील

269 छ छ (1) आयुक्त या धारा 269 छ के अधीन अपील अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से साठ दिन के अंदर जिसको उस धारा के अधीन ऐसे आदेश की प्रति उस पर तामील की जाती है ऐसे आदेश के विरुद्ध विधिक प्रश्न पर न्यायालय से अपील कर सकता है :

परन्तु उच्च न्यायालय, साठ दिन की उक्त कालावधि की समाप्ति के पहले इस निमित्त किए गए आवेदन पर, आदेश द्वारा, ऐसी अतिरिक्त कालावधि के अंदर अपील प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुज्ञात कर सकता है जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, यदि आवेदक उच्च न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि साठ दिन की उक्त कालावधि के अंदर अपील प्रस्तुत न कर सकने का पर्याप्त कारण था।

(2) उप-धारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों से कम की न्यायपीठ द्वारा नहीं सुनी जाएगी और धारा 259 के उपबंध ऐसी अपील के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे धारा 256 के अधीन न्यायालय को निर्दिष्ट मामले के संबंध में लागू होते हैं।

(3) अपील के खर्चे उच्च न्यायालय के विवेकाधीन होंगे।

(छ:) पृष्ठ 9 और 10 क्रमशः पंक्ति 32 से 36 और 1 से 7 के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये :—

“स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए धारा 269 च की उप धारा के प्रयोजन के लिए धारा 269 च की उपधारा (6)

के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति के अर्जन का आदेश (जिसे इस स्पष्टीकरण में इसके पश्चात् अर्जन का आदेश कहा गया है) अन्तिम हो जायेगा,—

- (क) उस दशा में जहां अर्जन का आदेश धारा 269छ के अधीन अपील अधिकरण से अपील का विषय नहीं बनाया गया है, उस कालावधि की समाप्ति के दौरान उस धारा के अधीन अपील की जा सकती है ;
- (ख) उस दशा में जहां अर्जन का आदेश धारा 269छ के अधीन अपील अधिकरण अपील का विषय बनाया गया है,—
- (i) यदि अर्जन के आदेश को अपील अधिकरण द्वारा पुष्टि की जाती है और अपील अधिकरण का आदेश धारा 269 छछ के अधीन उच्च न्यायालय से अपील का विषय नहीं बनाया जाता है तो, उस कालावधि की समाप्ति पर जिसके दौरान उस धारा के अधीन उच्च न्यायालय से अपील की जा सकती है ;
- (ii) यदि अपील अधिकरण का आदेश धारा 269 छछ के अधीन उच्च न्यायालय से अपील का विषय बन जाता है तो, उच्च न्यायालय द्वारा अर्जन के आदेश की पुष्टि पर।”

(सात) पृष्ठ 14, पंक्ति 25,

“बोर्ड” के स्थान पर “अपील अधिकरण” प्रतिस्थापित किया जाये।

(आठ) पृष्ठ 14, पंक्ति 31 और 32

“बोर्ड और सक्षम प्राधिकारी” के स्थान पर “सक्षम प्राधिकारी” प्रतिस्थापित किया जाये।

(नौ) पृष्ठ 14 और 15, क्रमशः पंक्ति 34 से 37 और 1 से 11 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाये—

“269 ड—अभिलेख से प्रकट होने वाली किसी भूल के सुधार की दृष्टि से, सक्षम प्राधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या आदेश से प्रभावित किसी व्यक्ति द्वारा भूल उसकी जानकारी में लाए जाने पर इस अध्याय के अधीन उसके द्वारा किये गए किसी आदेश का ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील पेश किए जाने के समय की समाप्ति के पूर्व किसी समय संशोधन कर सकता है :

परन्तु यदि ऐसे संशोधन से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भाव्यता है तो वह ऐसे व्यक्ति की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना संशोधन नहीं करेगा।”

(दस) पृष्ठ 15, पंक्ति 19 से 25 के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये —

“(2) रजिस्ट्री करने वाला अधिकारी प्रत्येक पक्ष के अन्त पर सक्षम अधिकारी को

(क) पक्ष के दौरान उपधारा (i) के अधीन उसको प्राप्त हुए विवरणों का एक समुच्चय; और

(ख) पक्ष के दौरान उपधारा (i) में विनिर्दिष्ट रूप से उसने जो रजिस्ट्रियां की हैं उनके दस्तावेजों की बाबत विहित प्रपत्र

में और विहित रीति से सत्यापित और ऐसी विशिष्टियां देते हुए जो विहित की जायें एक विवरणी अंग्रेषित करेगा।”

यह खंड अंग्रेतर-संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

4. खण्ड 3—खंड 3 बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

5. खण्ड 1—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,

“1971” के स्थान पर “1972” प्रतिस्थापित किया जाये।

यह खंड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

6. अधिनियमन सूत्र—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

“बाईसवें” के स्थान पर “तेईसवें” प्रतिस्थापित किया जाये।

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

7. पूरा नाम—पूरा नाम बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

8. समिति ने विधायी परामर्शदाता को विधेयक की स्पष्ट त्रुटियों को, यदि कोई हों, दूर करने और उसमें पारिणामिक स्वरूप के संशोधन करने के लिए प्राधिकृत किया।

9. समिति ने निश्चय किया कि समिति को जो ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं उन्हें समिति का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत हो जाने के बाद सदस्यों के संदर्भ के लिए संसद ग्रन्थागार में रख दिया जाये।

10. समिति ने निश्चय किया कि प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के लिए समिति की बैठक शुकवार 5 मई, 1972 को 9.00 बजे होगी।

तत्पश्चात् समिति स्थगित हुई।

तेरह

तेरहवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 5 मई, 1972 को 09.00 बजे से 10.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एन० के० पी० साल्वे—पीठासीन

सदस्य

2. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
3. श्री के० बालतंडायुतम
4. श्री छोटे लाल
5. चौधरी दलीप सिंह
6. श्री ए० के० वी० चुसा
7. श्री पीलू मोदी
8. श्री तारकेश्वर पांडे
9. श्रीमती सहोदरा बाई राय

10. श्री राम सुरत प्रसाद
11. श्री एस० सी० सामन्त
12. श्री शिव पूजन शास्त्री
13. श्री बी० तुलसीराम
14. श्री यशवन्तराव चव्हाण

विधायी सलाहकार

1. श्री के० के० सुन्दरम्, संयुक्त सचिव तथा विधायी सलाहकार
2. श्री आर० बी० एस० पेरी-शास्त्री, अपर विधायी सलाहकार
3. श्री एस० रमया, उप विधायी सलाहकार

वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री बी० डी० पान्डे, सचिव
2. श्री आर० डी० शाह, अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर-बोर्ड
3. श्री के० ई० जान्मन, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर-बोर्ड
4. श्री आर० आर० खोसला, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर-बोर्ड।
5. श्री ओ० पी० भारद्वाज, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर-बोर्ड।

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप-सचिव

2. प्रक्रिया और कार्यसंचालन सम्बन्धी नियम 258(3) के अन्तर्गत सभापति की अनुपस्थिति में बैठक में सभापति का कार्य करने के लिए श्री एन० के० पी० साल्वे को चुना गया।

3. समिति ने संशोधित रूप में विधेयक पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

4. समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे निम्नलिखित संशोधनों के बाद स्वीकार किया :—

(एक) पैरा 4, पंक्ति —

“चार्टर्ड” का लोप किया जाय।

(दो) पैरा 15 (एक), 269क से सम्बन्धित पैरा [खंड (ड)] के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाये

“समिति ने सिद्धान्ततः यह बात स्वीकार कर ली है कि सहकारी समितियों के भवनों के प्लेटों के अन्तरण को इस विधान के क्षेत्राधिकार में लाना अत्यावश्यक है। अन्यथा विधि में एक बहुत बड़ी कमी रह जायेगी। तथापि, समिति को यह बताया गया कि आवास सहकारी समितियों के मामले में प्लेट इस प्रकार बेचे अथवा अन्तरित नहीं किये जाते। सामान्यतः सहकारी समितियों के अंश अन्तरित किये जाते हैं। अंशों के स्वामित्व का अधिकार वस्तुतः प्लेटों के स्वामित्व का अधिकार होता है। फिर भी चूंकि अंशों के अन्तरण के लिए रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं होती और रजिस्ट्रीकरण सम्पूर्ण विधान का मूल आधार है, इसलिए आवास सहकारी समितियों के प्लेटों को फिलहाल छोड़ दिया गया है।

अतः समिति सिफारिश करती है कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा अन्य संगत विधियों में संशोधन किया जाना चाहिये जिससे आवास सह-

कारी समितियों के अंशों के अन्तरण को स्थावर सम्पत्ति माना जाये जिसके अन्तरण की दशा में रजिस्ट्रीकरण आवश्यक होता है।”

5. सभापति ने घोषणा की कि यदि कोई विमति-टिप्पण हों तों उन्हें लोक-सभा सचिवालय को इस प्रकार भेज दिया जाय कि वे वहाँ सोमवार, 8 मई, 1972 को 12.00 बजे तक पहुंच जायें।

6. समिति ने सभापति को और उनकी अनुपस्थिति में श्री तारकेश्वर पांडे को बुधवार, 10 मई, 1972 को सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखने लिए प्राधिकृत किया।

7. विचार-विमर्श के दौरान वित्त मंत्री, न्याय और विधि मंत्री एवं वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री द्वारा दी गई सहायता के लिए समिति ने अपना आभार प्रकट किया।

8. समिति ने विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी सलाहकारों और अन्य अधिकारियों, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों तथा लोक-सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए अपना आभार प्रकट किया।

9. समिति की कार्यवाहियों का कुशलतापूर्वक संचालन करने तथा विधेयक के विभिन्न प्रक्रमों पर विचार-विमर्श के दौरान समिति का मार्गदर्शन करने के लिए समिति ने सभापति (श्री भागवत झा आजाद) का भी धन्यवाद किया।

10. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।